

प्रधानमंत्री जन-धन योजना



राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन



वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
www.financialservices.gov.in



वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
www.financialservices.gov.in



**“ देश के आर्थिक संसाधन
गरीब के काम आएँ,
इस की शुरुआत यहीं से होती है। ”**

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री





संदेश



मुझे प्रधानमंत्री जन-धन योजना से संबंधित इस पुस्तिका का लोकार्पण करने में प्रसन्नता हो रही है। समावेशी विकास – “सब का साथ सब का विकास” हमारे विकास दर्शन का केन्द्र है। यह मिशन शहरी तथा ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सेवाएं आसानी से एवं सभी जगह उपलब्ध कराएगा। बैंकिंग प्रणाली से दूरी लोगों को एक नई वित्तीय प्रणाली से होने वाले लाभों से वंचित कर देती है। इस मिशन में, परिवारों के न केवल स्थानीय रूपे डेबिट कार्ड के साथ बैंक खाते होंगे, अपितु उन्हें आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण भी प्राप्त होगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें बीमा तथा पेंशन सेवाएं भी प्राप्त होंगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस मिशन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर काफी ध्यान दिया गया है और पूर्व में किए गए प्रयासों से प्राप्त परिणामों को इसमें शामिल किया गया है। इस महत्वाकांक्षी कार्य को करने के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रयास हेतु मैं वित्त मंत्री एवं उनकी टीम को बधाई देता हूँ।

मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ।

नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

नई दिल्ली
22 अगस्त, 2014



संदेश



मुझे प्रसन्नता है कि हमने ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, छोटे तथा सीमान्त किसानों एवं कामगारों सहित समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए देश के सभी परिवारों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना को एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में प्रारम्भ किया है।

स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी देश के दो-तिहाई से भी कम परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने की सच्चाई को देखते हुए ऐसे मिशन को आरंभ करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह मिशन देश में ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में सभी परिवारों को रूपे डेबिट कार्ड सहित बैंक खाते, ऋण तक पहुंच, विप्रेषण, बीमा तथा पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना चाहता है। इसलिए यह मिशन न केवल वंचित वर्गों को वित्तीय मुख्यधारा में लाएगा, अपितु सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लाभों के अंतरण को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा।

इस मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, निजी सेवा प्रदाताओं एवं सभी नागरिकों के पूरे सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम अपने देश के पददलितों तथा गरीबों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में सफल होंगे।

अरुण जेटली
वित्त, रक्षा तथा कॉर्पोरेट कार्य के मंत्री



संदेश



मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना का हिस्सा होने पर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय समावेशन सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है क्योंकि यह समावेशी विकास की सुविधा प्रदान करने वाला है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता सहित बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि संपोषणीय आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए समावेशी विकास महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना पूरे देश में पूर्ण वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगी।

मुझे विश्वास है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे।

निर्मला सीतारमन

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
तथा वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री

प्राक्कथन

वित्तीय समावेशन सरकार की एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है क्योंकि यह समावेशी विकास को सुकर बनाती है। वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीबों को अपनी बचत औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने की सुविधा, गावों में अपने परिवारों को धनराशि भेजने की सुविधा उपलब्ध कराता है जिससे वे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकल पाने में समर्थ होते हैं। भारत में वित्तीय रूप से वंचित वर्ग को शामिल करने का प्रयास नया नहीं है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में आरम्भ किए गए अभियान में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले (2001 की जनगणना के अनुसार) लगभग 74,000 गावों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।

तथापि, पूर्व के अभियान का दायरा अपनी पहुंच तथा कवरेज के मामले में सीमित था। बैंक खाता खोलने, डिजिटल धनराशि तक पहुंच, सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन जैसे व्यापक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं का उसमें अभाव था। इस अभियान में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके केवल आपूर्ति पक्ष पर जोर दिया गया था, लेकिन इसमें समस्त भौगोलिक क्षेत्र को लक्षित नहीं किया गया था। इसमें परिवारों पर जोर नहीं दिया गया था। इसके अलावा, अभियान को और आगे बढ़ाने में कुछेक प्रौद्योगिकीय समस्याएँ भी थी। इसके परिणामस्वरूप वांछित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका और बड़ी संख्या में बैंक खाते निष्क्रिय हो गए। इन खातों को चालू रखने तथा इनका प्रयोग जीविका से संबंधित कुछेक आर्थिक कार्यकलापों के साधन के रूप में करने के लिए व्यापक योजना आवश्यक है।

इस पर आवश्यकतानुसार और अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' नामक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में की गई थी। यह वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई है। इसके अलावा, लाभार्थियों को रुपये डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। इस योजना में सभी सरकारी (केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रणालीकृत किए जाने तथा केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की

गई है। कमजोर सम्पर्क, ऑनलाइन लेन-देन जैसे प्रौद्योगिकीय मामलों का समाधान किया जाएगा। टेलीकॉम आपरेटरों के जरिए मोबाइल बैंकिंग तथा नकद आहरण केन्द्र के रूप में उनके स्थापित केन्द्रों का इस योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन हेतु प्रयोग किए जाने की योजना है। इसके अलावा, देश के युवाओं को भी इस मिशन पद्धति वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हम माननीय प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिन्होंने इस योजना को न केवल अपना पुरजोर समर्थन प्रदान किया है, बल्कि इसे पुनः तैयार करने एवं इसे अधिक सार्थक तथा पूर्ण समावेशी बनाने के लिए हमें व्यापक दिशानिर्देश भी दिए हैं। इस योजना का प्रारूप तैयार करने में माननीय वित्त मंत्री के निरंतर मार्गदर्शन तथा उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। हम माननीय वित्त राज्य मंत्री का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस योजना को अंतिम रूप देने में अपनी रुचि दिखाई और कई मामलों, खासकर राज्यों की सहायता प्राप्त करने में हमारी सहायता की। हम ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डाक विभाग, श्रम मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं संगठनों की भी इस पहल में सक्रिय सहयोग के लिए सशुक्राहना करते हैं। हम भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) तथा विभिन्न बैंकों/राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी तथा बीमा कंपनियों द्वारा इस योजना को तैयार करने में दिए गए उनके समर्पित योगदान के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी इस योजना के कार्यान्वयन में पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अंत में मैं वित्तीय सेवाएं विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने नई सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नया कार्यक्रम तैयार करने के लिए अनवरत कार्य किया। मौजूदा योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे मिशन पद्धति में कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के लिए वेब आधारित निगरानी तंत्र विकसित किया गया है।

मैं जनता और विभिन्न संगठनों, निकायों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां एवं सुझाव दिए हैं। इस योजना का नाम, लोगो का डिज़ाइन और टैगलाइन जनता से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि सभी भागीदारों की सहायता से इस योजना को शानदार सफलता मिलेगी और आर्थिक रूप से मजबूत एवं जीवंत देश की राष्ट्रीय आकांक्षाएं भी पूरी होंगी।

डॉ. गुरदयाल सिंह संघु
सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग,
जीवन दीप भवन, नई दिल्ली-110001



विषय सूची



क्र.सं.	विषय	पृष्ठ	क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
	कार्यकारी सार	(i) से (v)			
1.	प्रस्तावना	1	8.	वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी की भूमिका	28
2.	वित्तीय समावेशन – पृष्ठभूमि	4	9.	निगरानी की प्रशासनिक संरचना	34
3.	मिशन समावेशन: वर्तमान स्थिति – भारत	6	10.	निगरानी तंत्र/एमआईएस	36
4.	वित्तीय पद्धति उद्देश्य (छ: स्तंभ)	10	11.	मीडिया तथा प्रचार	38
5.	वित्तीय समावेशन योजना के लिए समय-सीमा	12	12.	मिशन के कार्यान्वयन में अभिचिह्नित चुनौतियाँ	40
6.	उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यनीति	14	13.	मुख्य शेरधारकों की भूमिका	42
7.	प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का कार्यान्वयन		14.	उद्घाटन समारोह	46
7.1	बैंकों के नेटवर्क का विस्तार तथा भौगोलिक पहुँच	17	15.	कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा	47
7.2	प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता खोला जाना	20			
7.3	वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट काउंसलिंग (एफएलसीसी) – वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) की पर्याप्त संख्या में स्थापना एवं वंचित वर्गों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने हेतु तंत्र	23			
7.4	क्रेडिट गारंटी फंड	24			
7.5	माइक्रो बीमा	25			
7.6	असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना-स्वावलंबन	26			



कार्यकारी सार

1. देश में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

- भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की गई थीं जैसे – बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और विस्तार, पीएस ऋण की शुरुआत, अग्रणी बैंक योजना, स्व-सहायता समूहों का गठन और एसएलबीसी द्वारा सरकार प्रायोजित योजनाओं के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित किया जाना है।
- वर्ष 2005-2006 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के साथ अपनी नीतियों को समायोजित करें। बैंकों को सलाह दी गयी थी कि वे या तो 'शून्य' अथवा प्रभारों सहित बहुत कम शेष के साथ 'नो फ़िल' मूल बैंकिंग खाते उपलब्ध कराएँ, ताकि लोगों के अधिकांश वर्गों के लिए इस प्रकार के खातों को सुलभ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की पकड़ मज़बूत बनाने और उन्हें विस्तार देने पर बल दिया गया है ताकि जनसंख्या के ग्रामीण एवं गरीब वर्गों के बड़े भाग को शामिल किया जा सके।



- भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006 में व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ, जनहित में यह निर्णय लिया था कि 'व्यवसाय सुविधाप्रदाता और व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल' के उपयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में एनजीओ/एसएचजी, एमएफआई और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग मध्यवर्ती संस्थाओं के रूप में कर के बैंकों को सक्षम बनाया जाए।
- जनगणना 2011 के अनुसार अनुमान है कि देश में 24.67 करोड़ परिवारों में से, 14.48 करोड़ (58.7%) परिवारों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक है। 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 9.14 करोड़ (54.46%) को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो रही थीं। 7.89 करोड़ शहरी परिवारों में से 5.34 करोड़ (67.68%) परिवार बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे थे।
- वर्ष 2011 में बैंकों ने व्यवसाय प्रतिनिधियों के साथ 'स्वामिमान' अभियान के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं के साथ 2000 से अधिक जनसंख्या वाले (जनगणना 2001 के अनुसार), 74,351 ग्रामों को शामिल किया था जैसा कि बाद में बताया गया। हालांकि, कार्यक्रम की पहुंच और उसका प्रभाव सीमित था।
- देश के वर्तमान बैंकिंग नेटवर्क में (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) 1,15,082 बैंक शाखा नेटवर्क और 1,60,055 एटीएम नेटवर्क शामिल हैं। इनमें से 43,962 शाखाएं (38.2%) और 23,334 एटीएम (14.58%) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 1.4 लाख व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। बैंक के प्रतिनिधि बुनियादी बैंकिंग सेवाएं अर्थात् मूल बैंक खाता खोलने, नकदी जमा, नकदी आहरण, निधियों का अंतरण, शेष संबंधी पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट आदि उपलब्ध कराते हैं।

हालांकि, वास्तविक फ़ील्ड स्तर के अनुभव बताते हैं कि इन प्रतिनिधियों में से कई वास्तव में काम नहीं करते हैं।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार यह अनुमान लगाया है कि 13.14 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से जो कवरेज के लिए उन्हें आवंटित किये गये थे, लगभग 7.22 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है (5.94 करोड़ शामिल नहीं)। यह अनुमानित है कि 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों और 1.5 करोड़ शहरी परिवारों को 'शामिल' किए जाने की आवश्यकता है।

2. वर्तमान में किए जा रहे कार्य

- देश में प्रत्येक परिवार को बैंक खाता उपलब्ध कराना और बुनियादी बैंकिंग सेवा सुविधाएं अर्थात् (i) रुपये डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग सुविधा के साथ बैंक खाता खोलना (ii) नकदी आहरण एवं जमा (iii) अंतरण (iv) शेष की पूछताछ एवं (v) मिनी स्टेटमेंट उपलब्ध कराना। वित्तीय साक्षरता के अलावा अन्य सेवाएं समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को साथ-साथ प्रदर्शित किया जाए ताकि वे उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर सकें। इन बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव के 5 कि.मी. की दूरी के अंदर बैंकिंग आउटलेट्स उपलब्ध कराये जाने हैं। यूआईडीएआई डाटाबेस से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित नकदी के आहरण के लिए एईपीएस और खाता खोलने के लिए ई-कैवाईसी सक्षम होने के लिए आवश्यक अवसंरचना भी उपलब्ध कराई जानी अनिवार्य है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या साथ-साथ रखने का तात्पर्य यह है कि लगभग 5.92 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अभी भी शामिल किया जाना है। कुछ प्रकरणों में फ़ील्ड लेवल डाटा मेल नहीं खाता है, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 6 करोड़ शामिल नहीं किए गए परिवार हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल किये जाने की आवश्यकता होगी।
- यदि प्रति परिवार न्यूनतम एक खाता मान लें, तो इसका तात्पर्य गांवों में 6 करोड़ खाते खोलने से है।

- इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में शामिल नहीं किए गए परिवारों का खाता खोलना भी अपेक्षित होगा। जनगणना, 2011 के अनुसार इन परिवारों की अनुमानित संख्या 2.55 करोड़ है। हालांकि, बिना बैंक खाता वाले इन परिवारों की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ खाते खोलने का तात्पर्य अनुमानतः 1.5 करोड़ परिवारों से है।

3. वर्तमान योजना:

- छ: स्तंभों पर आधारित विस्तृत वित्तीय समावेशन को निम्नानुसार प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:

चरण -I (15 अगस्त, 2014 -14 अगस्त, 2015)

- बैंकिंग सुविधाओं की सर्वव्यापी पहुंच।
- बचत और विप्रेषण के लिए बुनियादी बैंकिंग खाता और एक लाख रुपये की आकस्मिक दुर्घटना बीमा के साथ रुपये डेबिट कार्ड और रुपये कार्ड उपलब्ध कराना।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

चरण -II (15 अगस्त, 2015 -15 अगस्त, 2018)

- बचत/क्रेडिट हिस्ट्री के संतोशजनक निष्पादन के छ: माह के बाद ₹5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- ओवरड्राफ्ट खातों में चूकों को कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी निधि का सृजन।
- सूक्ष्म बीमा।
- असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलंबन जैसी पेंशन योजनाएं।
- इसके अतिरिक्त, इस चरण में, पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति और दुर्गम क्षेत्र के परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस चरण में शेष बचे युवाओं और विद्यार्थियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी राज्यों के अलावा देश के सभी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए औसतन 3-4 गांवों के 1000-1500 परिवारों को उप सेवा क्षेत्र में चिह्नित किया जाना प्रस्तावित है।

- यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि प्रत्येक केन्द्र का व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए लगभग 74,000 गांवों, जिनकी जनसंख्या 2,000 से अधिक है, में स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) को अगले 3-5 वर्षों में 1+1/1+2 स्टाफ संख्या के साथ स्थायी शाखाओं में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा।
- प्रत्येक बैंक को सेवा क्षेत्र के अनुसार देशभर के 6 लाख गांवों को चिन्हित किया गया है जिसमें कम से कम 1000-1500 परिवारों को एक निर्धारित बैंकिंग आउटलेट निश्चित किया जाएगा, जिसे उप सेवा क्षेत्र कहा जाएगा। यह प्रस्तावित है कि बैंकिंग आउटलेट अर्थात् शाखा बैंकिंग और शाखा रहित बैंकिंग को मिलाकर उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) को संरक्षित किया जाएगा। शाखा बैंकिंग अर्थात् पारंपरिक स्थायी शाखाएं। शाखारहित बैंकिंग में फिक्स्ड प्वाइंट व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट है जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- इस योजना की कार्यान्वयन नीति मौजूदा बैंकिंग आधारभूत सेवाओं का उपयोग करना और साथ-साथ सभी परिवारों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करना है। जब मौजूदा बैंकिंग

नेटवर्क ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शामिल नहीं किए गए परिवारों का खाता खोलने में पूर्णरूप से सक्षम होंगे, बैंकिंग क्षेत्र, प्रथम चरण में 50,000 अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधियों, 7,000 से अधिक शाखाओं और 20,000 से अधिक नए एटीएम को स्थापित करने के लिए स्वयं का विस्तार भी करेगा।

- विस्तृत योजना के लिए अतीत से सबक लेना आवश्यक है जहां बड़ी संख्या में खोले गए खाते निष्क्रिय हो गये, जिसके परिणामस्वरूप बैंक का व्यय हुआ और लाभार्थी को कोई फायदा नहीं हुआ।
- अतः, इस योजना में लाभार्थियों के इस प्रकार के खातों को सभी सरकारी लाभ (केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) से जोड़ने का प्रस्ताव है और यह एलपीजी में डीबीटी को पुनः आरंभ करने को शामिल करते हुए केन्द्र सरकार की प्रयत्न लाभ अंतरण योजना को आगे बढ़ाती है। प्रयत्न लाभ अंतरण योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मनरेगा को भी शामिल किए जाने की संभावना है।
- अतः इस योजना में सभी सरकारी लाभों (केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय से प्राप्त होने



वाले) को लाभार्थियों के खातों में प्रणालीकृत किए जाने तथा एलपीजी योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पुनः आरंभ करने सहित केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।

- कठिन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में 15 अगस्त, 2014 से प्रारंभ हो रहे योजना के प्रथम वर्ष में प्रथम तीन स्तंभों पर जोर दिया जाएगा।
- दूरसंचार सम्पर्क की समस्या को देखते हुए 50,000 अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करने का लक्ष्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।
- इस योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक की अवधि के लिए बैंकों के लिए चरण-वार तथा राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- "मांग" की ओर खिंचाव के प्रभाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक होगा कि मूल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल तैयार करना तथा इस संबंध में जागरूकता सृजित करना आवश्यक है, बैंकिंग उत्पाद व्यवसाय प्रतिनिधि केन्द्रों पर तथा रूपे कार्ड के ज़रिए उपलब्ध होंगे। इस योजना के लिए बैंकों के परामर्श से एक मीडिया योजना तैयार की जा रही है।
- योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभाग की सहायता करने हेतु परियोजना प्रबंध परामर्शदाता/समूह को कार्य पर लगाया जाएगा।
- यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में, प्रत्येक राज्य की राजधानी में तथा सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आरंभ किया जाए।
- प्रगति के संबंध में रिपोर्ट करने/इसकी निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल सृजित किया जाएगा।

- विभिन्न भागीदारों जैसे केन्द्र सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनपीसीआई, यूआईडीएआई तथा अन्य की भूमिका का उल्लेख किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाक सेवक को बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- दूरसंचार विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि कमजोर सम्पर्क तथा सम्पर्क हीनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्हें यह सूचित किया गया है कि देश में आबादी वाले 5.93 लाख गांवों (2011 की जनगणना) में से लगभग 50,000 गांवों में दूरसंचार सम्पर्क उपलब्ध नहीं है।
- हाल के समय में बैंकों द्वारा सीबीएस को अपनाए जाने के पश्चात् प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, एनईएफटी, आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट, आईएमपीएस आदि। आधार के आने के पश्चात् आधार समर्थित उत्पाद जैसे खाता खोलने के लिए ई-केवाईसी, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), सूक्ष्म एटीएम, यूआईडीएआई आंकड़ा आधार से ग्राहक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर आधार आधारित केन्द्रीकृत ऋण। इसी प्रकार एनपीसीआई ने नए उत्पाद जैसे यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस आरंभ किया है जिनमें वित्तीय समावेशन के पूरे परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। अब तक उपेक्षित रहे वर्ग को समयबद्ध रूप में कवर करने को सुनिश्चित करने के लिए इन उत्पादों का उपयोग बड़े पैमाने पर किए जाने पर जोर दिया जाएगा।
- मौजूदा योजना में पूर्व के अनुभवों के आधार पर देश के सभी नागरिकों को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए उन्हें कई वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु एक समग्र पद्धति का प्रस्ताव किया गया है। पद्धति में बदलाव को दर्शाने के लिए एक उदाहरण निम्नानुसार है:-

पूर्व के अभियान से सीख तथा पद्धति में परिवर्तन

क्र.सं.	पूर्व पद्धति (स्वाभिमान)	ई पद्धति (पीएमजेडीवाई)
1.	2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को कवर करना, इसलिए सीमित भौगोलिक विस्तार	परिवार पर ध्यान; उप सेवा क्षेत्र पूरे देश के विस्तार को सुनिश्चित करता है
2.	केवल ग्रामीण क्षेत्र	ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र
3.	बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) निर्धारित दिनों में दौरा नहीं कर रहा था	प्रत्येक एसएसए में निर्धारित स्थान बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) में 1000-1500 परिवार (औसतन 3 से 4 गांव) आते हैं। एसएसए में अन्य गांवों का निरीक्षण करने के लिए दिन निर्धारित होते हैं
4.	ऑफ-लाइन खाते खोलना - वेंडर के साथ प्रौद्योगिकी लॉक-इन।	बैंक के सीबीएस में केवल ऑनलाइन खाते
5.	खाते खोलने पर ध्यान दिया जाना और बड़ी संख्या में खाते निष्क्रिय पड़े रहे	खाता खोले जाने के लिए डीबीटी, ऋण, बीमा और पेंशन के साथ एकीकृत किया जाना
6.	खातों की अन्तर-परिचालनीयता नहीं थी	रूपे डेबिट कार्ड के माध्यम से अन्तर-परिचालनीयता
7.	मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग न होना	मोबाइल वॉलेट और यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग किया जाना
8.	बोझिल केवाईसी की औपचारिकताएं	उसके स्थान पर सरल केवाईसी/ई-केवाईसी लाना
9.	बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के पारिश्रमिक हेतु कोई दिशा-निर्देश नहीं है। बैंक ज्यादातर सामूहिक बीसी का प्रयोग करते हैं जो उनके लिए कम खर्चीला होता है।	बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) का न्यूनतम पारिश्रमिक ₹ 5000/- (निर्धारित + परिवर्तनीय) निर्धारित किया गया था
10.	हाल ही में, आरबीआई द्वारा किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 47% बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) का कोई पता नहीं है	बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) की व्यवहार्यता और धारणीयता की पहचान संकटपूर्ण घटक के रूप में की गई है
11.	निगरानी बैंको पर छोड़ दी गई हैं	केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर ढांचागत निगरानी तंत्र के साथ मिशन के रूप में वित्तीय समावेशन अभियान
12.	वित्तीय साक्षरता की और ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया	बैंको की ग्रामीण शाखाओं में समर्पित वित्तीय साक्षरता कक्ष
13.	राज्य/जिला द्वारा कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है	राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निरीक्षण समिति गठित की जानी है
14.	कार्यक्रम एवं बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) की कोई ब्रांड दृश्यता (विज़िबिलिटी) नहीं है	कार्यक्रम एवं व्यवसाय प्रतिनिधि के लिए ब्रांड दृश्यता (विज़िबिलिटी) प्रस्तावित है
15.	ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने को बढ़ावा नहीं दिया गया	6 महीने के संतोषजनक परिचालन/ऋण इतिवृत्त के पश्चात् ओवरड्राफ्ट की सीमा
16.	कोई शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं	संबंधित राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के स्तर पर शिकायत का निवारण





प्रस्तावना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से ही संभव है।

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को "प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)" की घोषणा की थी जो वित्तीय समावेशन के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन है। यह बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है तथा यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

पीएमजेडीवाई का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से ही संभव है।

वित्तीय समावेशन संबंधी इस राष्ट्रीय मिशन का महत्वकांक्षी उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं तथा प्रत्येक परिवार के लिए एक बचत खाते के साथ देश में सभी परिवारों को शामिल करना है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह जोर दिया गया है कि वंचित रह गए लोगों को वित्तीय प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना पूरे देश में एक साथ 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की जाएगी। इसका उद्घाटन दिल्ली में औपचारिक रूप से तथा राज्य स्तर पर समनुरूप समारोह में तथा जिला तथा उप जिला स्तरों पर भी किया जाएगा। शाखा स्तर पर भी शिविर आयोजित किए जाने हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना "सबका साथ सबका विकास" के दर्शन के मूल में है।

बैंक खाता होने से प्रत्येक परिवार को बैंकिंग तथा ऋण सुविधाएं प्राप्त होंगी। इससे वे साहूकारों के चंगुल से बाहर आने तथा आकस्मिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न वित्तीय समस्याओं का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें कई प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लाभ भी प्राप्त होंगे। प्रथम चरण के रूप में प्रत्येक खाताधारक को ₹1,00,000/- लाख के दुर्घटना कवर के साथ रुपये डेबिट कार्ड प्राप्त होंगे। इसके अलावा, उन्हें बीमा और पेंशन उत्पादों से भी कवर किया जाएगा। 7.5 करोड़ परिवारों को नामांकित करने तथा उनके खाते खोलने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा किए गए पूर्व के प्रयासों में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन संबंधी समिति का गठन शामिल है। समिति ने वर्ष 2008 के आरंभ में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था। रिपोर्ट की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि समिति ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक बदलाव का साधन माना है। "समावेशी विकास के लिए गरीब तथा अरक्षित समूह को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होना पूर्वापेक्षित है। वास्तव में, वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता अरक्षित समूह को सशक्त बनाता है। वित्तीय समावेशन वंचित तथा कम आय समूह के बड़े वर्ग को किफायती लागत पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। विभिन्न वित्तीय सेवाओं में ऋण, बचत, बीमा तथा भुगतान और विप्रेषण सेवाएं शामिल हैं। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कम आय वाले लोगों को अपने अंतर्गत शामिल करने के लिए संगठित वित्तीय प्रणाली के कार्यकलापों का विस्तार करना है। क्रमबद्ध ऋण के जरिए यह प्रयास अवश्य किया जाए कि गरीबों को एक स्तर से उठाकर दूसरे स्तर पर किया जाए ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें।"

यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारत में जबकि जनसंख्या के एक भाग को कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं जिसकी परिधि में नियमित बैंकिंग सेवाएं तथा पोर्टफोलियो परामर्श आता है, शोषित और निम्न आय समूह का अन्य भाग मूलभूत वित्तीय सेवाओं से भी पूर्णतया वंचित है। समाज के बड़े भाग का वित्तीय सेवाओं से वंचित रहना किसी देश के कुल आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इस कारण से ही वित्तीय समावेशन एक वैश्विक चिंता का विषय है। स्वीडन तथा फ्रांस में बैंक खाता खोलने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का खाता खोलना कानूनी बाध्यता है। कनाडा में कानून के अनुसार, बैंकों को सभी कनाडा वासियों के रोजगार/ऋण इतिहास को ध्यान न देकर किसी न्यूनतम शेष का खाता उपलब्ध कराना अपेक्षित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कम्युनिटी रिइन्वेस्टमेंट एक्ट (1977) का उद्देश्य सुरक्षित तथा ठोस परिचालन के साथ कम तथा मध्यम-आय इलाकों (नेबरहुड्स) सहित उन समुदायों में, जहां पर वे परिचालनरत हैं, की ऋण आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए डिजिटल संस्थाओं को बढ़ावा देना है।

भारत में बैंकिंग उद्योग का व्यापक विस्तार हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा पैठ बढ़ती हुई माँग तथा पहुंच वाली वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं की रफ्तार के अनुरूप नहीं रही है। बैंक राष्ट्रीयकरण के दशकों के बाद, जिसका औचित्य वर्ग बैंकिंग से जन बैंकिंग की ओर करना था, हम अब भी यह पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी झुगियों में सूदखोर साहूकार गरीबों का शोषण कर रहे हैं। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद देश के गरीबों को विकास की प्रक्रिया में शामिल न किया जाना अवांछनीय है। गरीबों का वित्तीय समावेशन उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा तथा साथ ही वित्तीय संस्थाओं को समावेशी विकास में भागीदार बनने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।

भारत तथा विदेशों के अनुभव ने यह दर्शाया है कि गरीबों तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने में पारम्परिक बैंकों को संघर्ष करना पड़ा है। इस तथ्य को समझते हुए कई देशों, जैसे ब्राजील, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको इत्यादि, ने गैर-बैंकों को भुगतान, जमाराशियां तथा नकद जमा/नकद निकासी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार, भारत में एक समावेशी प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य को सक्षम बनाना भारत के लिए शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए।

डिजिटल वित्तीय समावेशन की ओर परिवर्तनीय बदलाव के लिए अनुकूल प्रारम्भिक हालात उपलब्ध कराने के लिए भारत के पास कई कार्यनीतिक आस्तियां हैं:

- ई-कुबेर (आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान) से संबद्ध एक सशक्त बैंकिंग नेटवर्क (1,15,000 शाखाएं), जिसका अब बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है।
- भारतीय डाक (1,55,000 आउटलेट), डाकघर तथा एटीएम टर्मिनलों की एक महत्वपूर्ण आउटरीच जोकि देश भर में एक दमदार नकद

जमा/नकद निकासी को सुकर बना सकती है।

- 886 मिलियन मोबाइल कनेक्शनों तथा 72% मोबाइल पैठ के साथ देशव्यापी टेलीकॉम नेटवर्क।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संवर्धित साझे सेवा केंद्रों के रूप में सेवा प्रदाता पर आधारित सुदृढ़ कंप्यूटर नेटवर्क।
- एक शक्तिशाली राष्ट्रीय भुगतान अवसंरचना जिसमें मोबाइल फोनों द्वारा निधियों के अंतरण हेतु अंतर मोबाइल भुगतान प्रणाली/तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) शामिल है।
- विश्वस्तरीय राष्ट्रीय पहचान प्रणाली जिसमें सबसे अधिक (650 मिलियन) व्यक्ति कवर हो चुके हैं तथा जो कि 30 मिलियन प्रतिमाह की दर से बढ़ रहा है।



वित्तीय समावेशन—पृष्ठभूमि



2. वित्तीय समावेशन—पृष्ठभूमि:

भारत में समाज के वित्तीय रूप से वंचित वर्ग को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने के प्रयास नए नहीं हैं। यह अवधारणा पहले वर्ष 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित की गयी थी तथा बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) नामक बैंकिंग अभिकर्ताओं के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग वर्ष 2006 में प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने 2000 से अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले 74,000 से अधिक गांवों को कवर करने के लिए “स्वामिमान” अभियान को प्रारम्भ करके इस कार्यक्रम के लिए गम्भीर प्रयास किया। इस अभियान के अंतर्गत कवर किए गए गांवों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध – 1 में देखा जा सकता है।

अभियान से मिली सीखों से यह पता चला कि

- प्रयासों के अभिसरण की आवश्यकता है ताकि पीएमजेडीवाई के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सूक्ष्म ऋण, बीमा और पेंशन की सुविधा प्राप्ति को कवर किया जा सके।
- अभियान में 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध करा के केवल आपूर्ति की ओर ध्यान केंद्रित किया गया लेकिन सारा भौगोलिक क्षेत्र कवर नहीं किया जा सका।
- इसका लक्ष्य गांवों को कवर करना था, न कि परिवारों को।
- बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) का पारिश्रमिक बहुत कम था।
- सचल बीसी पर आम आदमी की निर्भरता और विश्वसनीयता अधिक नहीं थी। अधिकतर बीसी ऑफलाइन कार्य करते थे जिसके कारण ग्राहक किसी खास बीसी के साथ सीमित हो जाता था जिससे उपयोगिता पर दबाव पड़ा।
- कुछ प्रौद्योगिक मुद्दों से अभियान के विस्तार/आरोहता में अड़चने आईं।
- इस अभियान के अंतर्गत खोले गए ऐसे खातों में लेन-देनों की संख्या बहुत सीमित थी अथवा कोई लेन-देन नहीं हुआ था।
- ऋण परामर्श तथा वित्तीय साक्षरता का कार्य अभियान के साथ-साथ नहीं चला।

इसके परिणामस्वरूप, वांछित लाभ दृष्टिगोचर नहीं हुए। इसलिए, पूर्व से सीख लेते हुए, वर्तमान प्रस्ताव में समग्र वित्तीय समावेशन लाने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण है।

पिछले अभियान से प्राप्त जानकारियां तथा मिशन मोड में व्यापक एफआई योजना के अंतर्गत प्रस्तावित दृष्टिकोण कार्यकारी सार के साथ संलग्न है।

वर्तमान में, देश के कुल 5.92 लाख गांवों में से केवल 0.43 लाख गांवों में बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं। शेष क्षेत्रों को बैंकिंग आउटलेट से कवर करने के उद्देश्य से शाखा तथा शाखारहित बैंकिंग के माध्यम से सम्मिश्र दृष्टिकोण प्रस्तावित है। शाखारहित बैंकिंग को बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के रूप में प्रारम्भ किया गया है जो कि मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन फिक्सड प्वॉइंट्स से बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। कम कीमत वाले मोबाइल फोन वाले प्रत्येक खाताधारक को भी यूएसएसडी आधारित प्रौद्योगिकी के द्वारा मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान करना भी प्रस्तावित है। वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाने के लिए मोबाइल वॉलेट (बटुए) का भी प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाएगा।



वित्तीय समावेशन वर्तमान स्थिति – भारत



3. वित्तीय समावेशन: वर्तमान स्थिति – भारत

- आजादी के छ: दशक बाद भी वित्तीय समावेशन हेतु किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक चर्चा में गरीबी तथा अपवर्जन का बोलबाला है। यद्यपि, 1991 के उदारीकरण युग के उपरान्त अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली विकास दर्शाया है, फिर भी उसके प्रभाव को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना अभी भी बाकी है और यही कारण है कि विश्व के

एक-तिहाई गरीब भारत में हैं।

- 2011 की जनगणना में अनुमान लगाया गया है कि केवल 58.7% परिवारों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच है।
- देश का वर्तमान बैंकिंग नेटवर्क (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) 1,15,082 बैंक शाखाओं का नेटवर्क तथा 1,60,055 एटीएम का नेटवर्क है। इनमें से 43,962 शाखाएं (38.2%) तथा 23,334 एटीएम (14.58%) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।



क. वित्तीय समावेशन – 5 वर्षों की अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों की प्रगति का सार निम्नानुसार है:

विवरण	2010 को समाप्त वर्ष	2011 को समाप्त वर्ष	2012 को समाप्त वर्ष	2013 को समाप्त वर्ष	2014 को समाप्त वर्ष
गांवों में बैंकिंग आउटलेट					
क) शाखाएं	33,378	34,811	37,471	40,837	46,128
ख) व्यवसाय प्रतिनिधियों ¹ द्वारा कवर किए गए गांव	34,174	80,802	1,41,136	2,21,341	3,37,678
ग) अन्य पद्धतियां	142	595	3,146	6,276	—
घ) योग	67,674	1,16,208	1,81,753	2,68,454	3,83,804
व्यवसाय प्रतिनिधियों के ज़रिए शहरी स्थान	447	3,771	5,891	27,143	60,730
बेसिक सेविंग बैंक जमा खाता – शाखाएं					
क) संख्या मिलियन में	60.19	73.13	81.20	100.80	126.00
ख) राशि बिलियन में	44.33	57.89	109.87	164.69	273.30
बेसिक सेविंग बैंक जमा खाता – व्यवसाय प्रतिनिधि					
क) संख्या मिलियन में	13.27	31.63	57.30	81.27	116.90
ख) राशि बिलियन में	10.89	18.23	10.54	18.22	39.00
बीएसबीडीए खाते में उपलब्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा					
क) संख्या मिलियन में	0.18	0.81	2.71	3.92	5.90
ख) राशि बिलियन में	0.10	0.26	1.08	1.55	16.00
केसीसी (संख्या मिलियन में)	24.31	27.11	30.24	33.79	39.90

ख. जैसा की ऊपर दर्शाया गया है इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हाल के वर्षों के दौरान खाता खोलने, मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अत्यधिक प्रगति हुई है। तथापि, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता तथा संपोषणीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सभी वर्गों को वित्तीय रूप से शामिल किया जाए।

ग. वर्ल्ड बैंक फिनडेक्स सर्वे (2012) (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2012/04/19/000158349_20120119083611/Rendered/PDF/WPS6025.pdf), के अनुसार गत 12 माह में केवल 35% भारतीय वयस्कों को औपचारिक बैंक खाते उपलब्ध थे तथा केवल 8% ने औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया। अत्यंत कम संख्या में खातों की संख्या के कारण यह सुझाता है कि वित्तीय समावेशन कार्यसूची को और अधिक बढ़ावा दिया जाए ताकि औपचारिक वित्तीय प्रणाली की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इस कड़ी के अंतिम व्यक्ति को भी शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय समावेशन के संबंध में नवीनतम महत्वपूर्ण दिशानिर्देश:

- 2006: जनवरी में बैंकों को गैर-लाभकारी बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के एजेंट, 'अंतिम अवसरचना' की हैसियत से कार्य करने के लिए, के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई थी।
- 2008: अप्रैल में यह निर्धारित किया गया था कि व्यवसाय प्रतिनिधियों को निकटतम बैंक शाखा से 15 किमी से अधिक की दूरी में नहीं लगाया जाएगा, ताकि पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके। यह अत्यंत प्रतिबंधात्मक नियम था, जिससे इस पद्धति का विस्तार अत्यंत सीमित हो गया।
- 2008: भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए तथा विभिन्न लेन-देन की सीमाओं तथा सुरक्षा मानदंडों को सहज बनाने के लिए दिसंबर, 2009 में इन्हें संशोधित किया।
- 2009: लोगों को लाभ के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई और इस श्रेणी में किराना दुकान, गैस केंद्र, पीसीओ आदि को शामिल किया गया था। इसके अलावा, व्यवसाय प्रतिनिधियों को निकटतम बैंक शाखाओं से 30 किमी तक की दूरी तक कार्य करने की अनुमति दी गई थी।
- 2009: बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों पर उचित सेवा प्रभार लगाने तथा व्यवसाय प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उचित कमीशन/शुल्क देने की अनुमति दी गई थी।

2010: जून में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के बीच मोबाइल बैंकिंग आरंभ करने के संबंध में आरंभिक समझौता हुआ जिसके द्वारा ट्राई सभी अंतःसंपर्क के मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगा और आरबीआई बैंकिंग पहलुओं जैसे केवाईसी जांच, लेन-देन सीमा इत्यादि के संबंध में कार्रवाई करेगा।

2010: सितंबर में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम (1956 के अंतर्गत) सूचीबद्ध सभी कंपनियों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

2010: इस निदेश में यह निर्धारित किया गया था कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों के निर्णय के आधार पर कतिपय मामलों में दूरी संबंधी छूट दी जा सकती है।

तथापि, केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्य बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे खाता खोलने की प्रक्रिया की गति में कमी आती है।

2011: जनवरी में ट्राई ने अपने मौजूदा बाजार मूल्य निर्धारण के प्रति वित्तीय सेवाओं के संबंध में मोबाइल शुल्क निर्धारित करने की घोषणा करने का निर्णय लिया ताकि इस सेवा की वहनीयता सुनिश्चित हो सके।

2011: भारतीय रिजर्व बैंक ने ईबीटी का प्रयोग करके मनरेगा की मजदूरी तथा अन्य सामाजिक लाभ का खाते में अंतरण की सुविधा हेतु आधार समर्थित बैंक खाता खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किया।

2012: भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार पत्र को बैंक खाता खोलने के लिए पहचान तथा पता दोनों के प्रमाण के रूप में मान्यता दी।

2012: भारत सरकार ने बैंकिंग आउटलेट खोलने तथा प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के लिए उप सेवा क्षेत्र पद्धति आरंभ की।

2012: सामाजिक लाभों के केंद्रीकृत जमा के लिए आधार भुगतान योजक प्रणाली (एपीबीएस) आरंभ की थी।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2013: खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-केवाईसी के प्रयोग की अनुमति दी।

ट्राई ने वित्तीय समावेशन के लिए यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।

2014: भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल को बढ़ाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए।



मिशन पद्धति उद्देश्य
(छ: स्तंभ)



4. मिशन पद्धति उद्देश्य (छः स्तंभ):

पीएमजेडीवाई को मिशन पद्धति में कार्यान्वित किया जाना है इसमें व्यापक वित्तीय समावेशन के मौजूदा प्रस्ताव में उचित दूरी के अंतर्गत सभी नागरिकों को किफायती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान की अभिकल्पना की गई है। इसमें निम्नलिखित 6 स्तंभ शामिल हैं:-

क) बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौम उपलब्धता:- प्रत्येक जिले को उप सेवा क्षेत्र के रूप में संगठित किया जाना है ताकि एक उप सेवा क्षेत्र द्वारा 1000-1500 परिवारों की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाए कि 14 अगस्त, 2015 तक प्रत्येक निवासी को 5 किमी की उचित दूरी के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें। जम्मू-कश्मीर के भागों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर तथा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले, जहां दूरसंचार संपर्क तथा अवसंरचना की समस्या है, को कार्यक्रम के चरण-II में (15 अगस्त, 2015 से 15 अगस्त, 2018 तक) कवर किया जाएगा।

ख) सभी परिवारों को ओवरड्राफ्ट तथा रूपे डेबिट कार्ड की सुविधा के साथ मूल बैंकिंग खाता प्रदान करना:- सर्वप्रथम प्रयास यह होगा कि मूल बैंक खाता खोलकर अगस्त, 2015 तक कवर न किए

गए सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। खाता धारक को रूपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। खातों के छः माह तक संतोषजनक परिचालन/ऋण इतिवृत्त पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक मूल बैंकिंग खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा पर विचार किया जाएगा।

ग) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:- लाभार्थियों को उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए इस मिशन का एक अभिन्न भाग वित्तीय साक्षरता होगा।

घ) ऋण गारंटी निधि का सृजन:- ओवरड्राफ्ट खातों में चूक को कवर करने के लिए एक ऋण गारंटी निधि का सृजन किया जाएगा।

ङ) सूक्ष्म बीमा:- सभी इच्छुक तथा पात्र व्यक्तियों को 14 अगस्त, 2018 तक सूक्ष्म बीमा उपलब्ध कराना तथा इस प्रक्रिया को निरंतर आधार पर जारी रखना।

च) स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना:- 14 अगस्त, 2018 तक तथा तत्पश्चात् निरंतर आधार पर।

मिशन के अंतर्गत प्रथम तीन स्तंभों पर प्रथम वर्ष में जोर दिया जाएगा।



वित्तीय समावेशन योजना की समय-सीमा



5. वित्तीय समावेशन योजना की समय-सीमा:

वंचित वर्गों के लिए व्यापक वित्तीय समावेशन को 14 अगस्त, 2018 तक निम्नानुसार दो चरणों में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:

चरण-I (15 अगस्त, 2014-14 अगस्त, 2015)

- अवसंरचना तथा सम्पर्क की समस्या वाले क्षेत्रों, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित (एलडबल्यूई) 82 जिलों के भागों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौम उपलब्धता।
- बचत बैंक खाता तथा ₹ 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा अंतर्निहित रूपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराना। डीबीटी युगतान के लिए खाते को तैयार करने हेतु आधार संख्या को जोड़ा जाएगा।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

चरण-II (15 अगस्त, 2015-14 अगस्त, 2018)

- छः माह तक संतोषजनक परिचालन/इतवृत्त के पश्चात ₹ 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- ₹ 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सीमा को ओवरड्राफ्ट सीमा वाले खातों में चूक को कवर करने के लिए ऋण गारंटी निधि सृजित करना।
- सूक्ष्म बीमा
- स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना

चरण II के कुछेक कार्यक्रमों को चरण-I में भी किया जाएगा। इसके अलावा, इस चरण में पहाड़ी, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा, इस चरण में परिवारों के शेष वयस्कों तथा छात्रों को कवर करने पर जोर दिया जाएगा।



उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यनीति



6. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यनीति:

- उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी भागीदारों के साथ एक व्यापक समन्वित कार्यनीति प्रस्तावित है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अंतर्विभागीय समेकन तथा सहयोग को लाभप्रद रूप से प्रयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है। डाकघरों की मौजूदा ग्रामीण अवसंरचना, जहां ग्रामीण डाक सेवक मौजूद हैं, को बैंकों के बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) बनाकर उनका इष्टतम उपयोग किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण कार्यनीति ग्राहक के घर के पास मूल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन निर्धारित बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को कार्य पर लगाना होगा। 1.26 लाख सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) हैं, इनमें से केवल 12,000 बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि हैं।
- बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के परिचालनात्मक लचीलेपन तथा व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इसे संशोधित करके बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि)

मॉडल को और आगे बढ़ाने की कार्यनीति है। प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष जैसे रूफे कार्ड तथा मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग किया जाएगा। बैंक ग्रामीण एटीएम के संबंध में आरबीआई की सब्सिडी योजना का प्रयोग कर सकते हैं तथा गांव स्तर पर अपने संसाधनों को एकत्र करने के लिए सूक्ष्म एटीएम के संबंध में यूआईडीएआई की सब्सिडी योजना का उपयोग कर सकते हैं।

- प्रत्येक परिवार को बैंक खाते के साथ कवर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम) को समेकित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार विभाग की विस्तार योजना का प्रभावी उपयोग इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि कमजोर संपर्क एवं संपर्कहीनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।



प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का मिशन पद्धति में कार्यान्वयन



7. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का मिशन पद्धति में कार्यान्वयन:

7.1 बैंकों के नेटवर्क का विस्तार तथा भौगोलिक पहुँच:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का प्रथम तथा मूल स्तंभ जनसंख्या के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग तक पहुँचने के लिए देश के बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करना है।

7.1.1 बैंक शाखाएं और एटीएम: वर्ष 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने देशभर में 7840 शाखाएं खोली जिसमें से 25% ग्रामीण क्षेत्रों में थी। वर्ष 2013-14 की बजटीय उद्घोषणा के साथ ही सभी शाखाओं को ए.टी.एम. सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 40,000 से भी अधिक ए.टी.एम. लगाए गए।

देश के मौजूदा (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) बैंकिंग नेटवर्क में 1,15,082 बैंक शाखा नेटवर्क तथा 1,60,055 एटीएम नेटवर्क शामिल हैं। इनमें से 43,962 शाखाएं (38.2%) तथा 23,334 एटीएम (14.58%) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष अर्द्ध-शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 7332 शाखें खोली जानी हैं तथा 20130 नए एटीएम लगाए जाने हैं। तथापि, बैंकों में स्टाफ की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण बैंकिंग सुविधाओं से सुसज्जित शाखाएं न खोल पाने की स्थिति के कारण शाखा विस्तार की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने की एक कुशल तथा लागत प्रभावी पद्धति यह है कि सेवा क्षेत्र (एसएसए) के माध्यम से पूरे देश का नक्शा बनाया जाए तथा नियत स्थान बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) आउटलेट नियोजित किए जाएं। इस क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी से इस प्रक्रिया को ज्यादा आसानी से तथा कुशलता से ज्यादा क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सकता है।

7.1.2 स्वाभिमान गाँव: वर्ष 2011-12 में बैंकों ने 'स्वाभिमान' अभियान के तहत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले (2001 की जनगणना के अनुसार) 74000 से अधिक गाँवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। प्रत्येक केंद्र की व्यवहार्यता को देखते हुए बैंक पूर्व के अभियान में व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा कवर किए गए 2000 या इससे

अधिक जनसंख्या वाले 74,351 गाँवों में 1+1 या 1+2 की न्यूनतम स्टाफ संख्या के साथ स्थायी शाखाएं खोलने का प्रयास करेंगे। इसे 3-5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध पद्धति में किया जाएगा।

7.1.3 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) का निर्धारण: वर्तमान योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश के सभी 6 लाख गाँवों का सर्विस एरिया के हिसाब से नक्शा बनाया जाए तथा प्रत्येक बैंक द्वारा 1000 से 1500 घरों के लिए एक बैंकिंग आउटलेट नियत स्थान पर लगाया जाए जिसे सब सर्विस एरिया (एस. एस.ए.) कहा जाएगा। पंचायत कार्यालय वाले गाँवों को नोडल प्वाइंट बनाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण 121 डी.बी.टी. जिलों में अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप 30,855 एस.एस.ए. का सृजन हुआ। इनमें से 30,751 में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अनुमान है कि देशभर में करीब 1.3 लाख एस.एस.ए. होंगे जो इस वर्तमान अभियान के अंतर्गत आते हैं। करीब 0.8 लाख में पहले ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं तथा करीब 50,000 नए एस.एस.ए. को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 1.40 लाख से अधिक व्यवसाय प्रतिनिधि हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से 31,846 एसएसए स्थापित करने का अनुमान है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एसएसए कवरेज को पूरा करने के लिए अन्य 14,216 एसएसए स्थापित करने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार कुल 46162 एसएसए के कवरेज का लक्ष्य है। कुछ क्षेत्र स्तरीय आंकड़ों के सुमेलित न होने की संभावना पर विचार करते हुए वर्तमान अभियान के अंतर्गत 50,000 एसएसए की आयोजना तैयार की जा रही है। तथापि, वास्तविक क्षेत्र अनुभव से यह पता चलता है कि इनमें से कई कार्यशील नहीं हैं। यह अनुमान है कि 75,000 गैर-कार्यरत बीसी को प्रतिस्थापित करना अपेक्षित होगा। देश में लगभग 1.26 लाख सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) हैं, इनमें से 12,284 केंद्र बैंकिंग व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट के रूप में कार्यरत हैं। अन्य सभी सीएससी को बैंकों के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट के रूप में सक्षम बनाए जाने का प्रस्ताव है।

7.1.4 एसएसए का कवरेज: यह प्रस्तावित है कि एसएसए कवरेज शाखा बैंकिंग तथा शाखा रहित

बैंकिंग दोनों के माध्यम से होनी चाहिए। शाखा बैंकिंग - इससे अभिप्राय परंपरागत स्वरूप वाली शाखाओं से हैं जो बैंक स्टाफ द्वारा परिचालित होती हैं तथा तीसरी पार्टी भुगतान तथा ऋण आवेदनों की प्रोसेसिंग सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। शाखा रहित बैंकिंग - इसमें बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को नियुक्त किया जाता है जो बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं, जैसे- खाते खोलना, नकद जमा करना, नकद आहरण करना, फण्ड ट्रांसफर करना, खाते का अधिशेष बताना तथा खाते की लघु विवरणी आदि-उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, ये बैंकों को अतिरिक्त सुविधाएं भी देते रहते हैं। परंपरागत स्वरूप वाली शाखाओं से रहित गाँवों को निर्धारित बी.सी. आउटलेटों के माध्यम से कवर किया जा सकता है। ये आउटलेट अधिमानतः पंचायत कार्यालय/ बस स्टेशन/स्थानीय मार्केट आदि में होने चाहिए। बीसी पूर्वनिर्धारित समय और दिनों में अपने पड़ोस के अन्य गाँवों को भी सुविधाएं दे सकते हैं। कारोबार के समय एवं घंटे उसके कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुछेक भाग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर तथा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 82 जिलों, जहां दूरसंचार संपर्क तथा अवसंरचना की समस्याएं हैं, को छोड़कर अगस्त, 2015 तक प्रत्येक निवासी को 5 किमी के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आरबीआई ने मार्च, 2016 तक सभी गाँवों को कवर करने के लिए बैंकों को निदेश दिया था। इस समय सीमा को कम करके इस कार्य को पहाड़ी जनजातीय मरुभूमि तथा दुर्गम क्षेत्रों, जहां दूरसंचार संपर्क की समस्या है, को छोड़कर अगस्त, 2015 तक पूरा करना है।

7.1.5 शहरी वित्तीय समावेशन: 2011 की जनगणना के अनुसार 7.89 करोड़ शहरी आवास हैं जिनमें से 5.34 करोड़ घरों में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा था। 31 मार्च 2014 के अनुसार बैंकों की शहरों, अर्द्ध-शहरों तथा महा नगरों में 71,120 शाखाओं तथा 1,36,721 एटीएम का नेटवर्क है। शहरों में भी जहाँ आवश्यक है, बैंक, बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) नियुक्त करेंगे। शहरों में बैंकिंग सुविधा रहित घरों के वास्तविक आंकड़े वर्तमान में बैंकों के पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन ये करीब 1.5 करोड़ होने का अनुमान है। जिलों के शहरी केंद्रों में अग्रणी जिला प्रबंधकों को सभी उपलब्ध बैंकों के साथ समन्वय रखते हुए

उक्त केंद्र के सभी परिवारों को इसमें शामिल करने की जिम्मेदारी दी हुई है। शहरी केंद्रों की संतृप्ति 2011 की जनगणना के अनुसार उस केंद्र में शहरी परिवारों के कम से कम 150% खाते खोल कर मापी जा सकती है।

7.1.6 बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) का कार्य: बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) केंद्रों (ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में) को सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण, जैसे स्कैन एटीएम, बायोमेट्रिक स्कैनर तथा इंटरनेट सुविधाएं आदि शामिल हैं। बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को ऑनलाईन लेन-देन करना है जिसके लिए इंटरनेट सुविधा अनिवार्य है। तथापि, वर्तमान स्थिति में सुविधा अनुसार देश के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट संबंधी समस्याएं हैं जिनका तत्काल समाधान किया जाना आवश्यक है। अतः एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न बीएसएनएल सहित विभिन्न हिस्सेदार होंगे जो तकनीकी से सम्बद्ध मामलों को सुलझाएंगे। प्रत्येक बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को मूल बैंकिंग का उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा ग्राहकों की आवश्यकतानुसार बीमा तथा पेंशन उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा जिससे कि वह क्षेत्रों में विशेषकर जटिल ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अबाधित बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित रूप से उपलब्ध करा सके। सबसे दूर के व्यवसाय प्रतिनिधि को कम से कम ₹5000/- प्रतिमाह का एकमुश्त पारिश्रमिक देने का सुझाव है जिसमें अतिरिक्त लेन-देन/ क्रियाकलापों के अनुरूप परिवर्तनीय संघटक होता है। पारिश्रमिक का निर्धारण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किराए की लागत, बिजली, इंटरनेट, यात्रा आदि से संबंधित व्ययों को भी जोड़ा जाए।

7.1.7 बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के लिए पात्रता: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यक्ति जैसे बेरोजगार युवक व निकायों जैसे सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त टीचर, सेवानिवृत्त सरकारी/सेना कार्मिक आदि, किराने की दुकानों, पीडीएस, पीसीओ, सीएससी एवं एनजीओ/ एमएफआई तथा स्वीकृत 25 कंपनियों, एनबीएफसी/ डाकखानों/ डाकियों/ ग्रामीण डाक सेवक/ सहकारी समितियों अथवा अन्य पात्र

व्यक्तियों/निकायों को व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। अन्य पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट रंग की वर्दी निर्धारित की जानी चाहिए। वर्दी में बैंक के लोगो (प्रतीक) के साथ साथ अभियान का लोगो भी लगा होना चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधि के वेतन का नियमित तथा समय पर भुगतान गांव स्तर पर उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

7.1.8 सभी बैंक बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के लिए उपस्कर के लिए न्यूनतम ₹50,000, कार्यशील पूंजी के लिए ₹25,000 तथा वाहन ऋण के लिए ₹50,000 की धन राशि उपलब्ध कराने की योजना आरंभ करेंगे। एक योजना का सुझाव अनुबंध-7 में दिया गया है।

7.1.9 बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के सुझाए गए निम्न रूप हो सकते हैं:-

7.1.9.1 वैयक्तिक बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) जो बैंक द्वारा सीधे नियोजित किए जाते हैं।

7.1.9.2 सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क का उपयोग।

7.1.9.3 कार्पोरेट बीसी कंपनियों के द्वारा जैसे:- प्राइवेट प्रतिभागिता के माध्यम से। हालांकि, बैंकों को इस प्रणाली के प्रशासन तथा केंद्रीकृत नियंत्रण संबंधी फायदे हैं तथा उनको कुछ खतरों से भी बचाता है लेकिन कई बार ये दूरस्थ व्यवसाय प्रतिनिधि शोषण के शिकार होते हैं।

7.1.9.4 कार्पोरेट बीसी कंपनियों को इसमें शामिल करते समय एजेंट को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का स्वरूप तथा भुगतान की समय अवधि आदि सम्बद्ध बैंकों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

7.1.10 मोबाइल बैंकिंग: व्यापक ढांचे के माध्यम से मूलभूत वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अंतर-मंत्रालयी समूह ने यह सुझाया है कि बैंक "मोबाइल तथा आधार से जुड़ी" सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इन खातों में मूल वित्तीय लेनदेनों का निष्पादन मोबाइल बैंकिंग आधारित पिन सिस्टम का प्रयोग करते हुए 'मोबाइल बैंकिंग पीओएस' से किया जा सकता है। मोबाइल वॉलेट के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत 2012 में हुई। इस सेवा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने

3 टेलीकोम तथा 5 गैर-टेलीकोम को इस सेवा की शुरुआत करने के लिए प्राधिकृत किया। तीन टेलीकोम-एयरटेल ब्रांड नेम एयरटेल मनी के अंतर्गत, वोडाफोन ब्रांड नेम वोडाफोन एमपैसा तथा आईडिया ब्रांड नेम आईडिया मनी इसमें सक्रिय है। ये क्रमशः 80000, 70000 तथा 8000 एजेंटों को कवर करती है। इनमें से करीब 60% बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मोबाइल वॉलेट सर्विस वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उदाहरणार्थ - एमपैसा सर्विस के मामले में आईसीआईसीआई मनी ट्रांसफर के लिए, बिलों के भुगतान के लिए तथा नकद आहरणों के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। इस प्रकार की सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को ग्राहक आधार करीब 70 लाख है। मोबाइल टेलीफोनी तथा प्रीपेड वॉलेट का उपयोग वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत परिवारों को कवर करने के लिए किया जाएगा।

7.1.11 नेशनल यूनिफाईड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म (एनयूयूपी): यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग सभी जीएसएम हैंडसेटों (वर्तमान 900 एमएन का 93%) पर काम कर सकती है। यूएसएसडी के माध्यम से अधिशेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट तथा फंड ट्रांसफर आदि मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एनपीसीआई द्वारा सभी बैंकों को एक कोड *99# के अंतर्गत गेटवे की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। वर्तमान में सभी स्मार्ट सेलफोन में पहले ही मोबाइल बैंकिंग उपयोग संबंधी ऐप्लिकेशन है तथा बेसिक सेलफोन को भी अब इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सक्षम बनाया जा रहा है। यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग उपकरण की शुरुआत 28 अगस्त, 2014 से की जानी प्रस्तावित है। प्रारंभ में 40 बैंकों द्वारा यह सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और बाद में 100 बैंकों को इससे जोड़ा जाएगा।



11 टेलीकोम सर्विस दाताओं से करार पहले ही किया जा चुका है।

कार्रवाई बिंदुओं का सार:

- एसएसए के माध्यम से समूचे देश का नक्शा बनाना-जिला स्तरीय समन्वयक समितियों (डीएलसीसी) के माध्यम से जिला स्तर पर एसएसए की पहचान पहले ही पूरी की जा चुकी है।
- विभिन्न बैंकों को एसएसए का आवंटन भी किया जा चुका है।
- प्रत्येक केंद्र की व्यवहार्यता को देखते हुए बैंक पूर्व के अभियान में व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा शामिल किए गए 2,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले 74,351 गांवों में 1+1 या 1+2 की न्यूनतम स्टाफ संख्या के साथ स्थायी शाखाएं खोलने का प्रयास करेंगे। इसे 3-5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध पद्धति में किया जाएगा।
- वित्तीय सेवाएं विभाग के एक पोर्टल के माध्यम से इन एसएसए की स्थापना तथा प्रगति की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

7.2 प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता खोला जाना

प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता (मूल बचत बैंक जमा खाता, बीएसबीडीए शून्य शेष के साथ) खोला जाना इस योजना का दूसरा स्तम्भ है जिससे सभी परिवारों में सभी वयस्क नागरिकों के लिए बेसिक बचत खाता बैंक में खोला जाएगा। पूर्व में वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया कि सभी के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता खोल दिया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राक्कलन के अनुसार मार्च, 2014 तक 242 मिलियन बेसिक बचत खाते खोले गए।

(<http://www.rbi.org.in/scripts/BSSpeechesView.aspx?ID=862>)

- जनगणना 2011 के प्राक्कलन के अनुसार देश में 24.67 करोड़ परिवारों में से, 14.48 करोड़ परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (पीएसबी) के अनुमान के अनुसार 31.05.2014 तक 9.17 करोड़ ग्रामीण परिवार बैंकों में खाता खोलने के लिए आवंटित किए गए थे जिनमें से 5.23 करोड़ परिवारों के बैंक में खाता खोल दिए गए (बैंक-वार विवरण - अनुलग्नक 5 में उल्लेखित है) शेष 3.94 करोड़ ग्रामीण परिवार को

पीएसबी द्वारा कवर किए जाने हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने 3.97 करोड़ जो उन्हें आवंटित थे, में से 1.99 करोड़ को कवर कर लिया। 1.98 करोड़ परिवार अब उनके द्वारा कवर किये जाने हैं।

- पीएसबी एवं आर.आर.बी. को जोड़ लिया जाए तो 5.92 करोड़ ग्रामीण परिवार अब भी बैंक में खाता खोलने से बचे हुए हैं। कुछ मामलों में फ़ील्ड स्तर पर डाटा यह के विमेल को ध्यान में रखते हुए लगभग 8.00 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब भी बैंक में खाता खोलने के लिए कवर करने की आवश्यकता है।
- इसके साथ-साथ शहरी क्षेत्र में बैंक में बचत खाता न खोलने वाले परिवारों को खाता खुलवाना भी अपेक्षित है। प्राक्कलन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को बैंक में बचत खाता खोलने की आवश्यकता है।

आधार समर्थित एकीकृत भुगतान अवसंरचना के संबंध में नंदन नीलेकणी की रिपोर्ट, फरवरी 2014, के अनुसार "ग्राहक (अधिकांशतः ग्रामीण कम आय वाले तथा अशिक्षित) के अन्य वर्ग को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं जिनका प्रयोग बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के जरिए किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के जरिए इस नवोन्मेष के प्रयोग से असेवित क्षेत्रों तथा असेवित लोगों को पहली बार बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना संभव हुआ है। तथापि, इस नवोन्मेष से एक अलग प्रौद्योगिकीय संरचना सृजित हो गई है जिसे ग्राहक अन्य चैनलों के जरिए अपने बैंक खातों तक नहीं पहुंच पाते हैं। चैनल की असुविधा के कारण अक्सर ग्राहक को अपने खाते से धनराशि के आहरण में असुविधा होगी।" इसे सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मिशन में ऐसा नहीं किया गया है। भुगतान की अंतर्संचालनीयता डेबिट कार्ड के जरिए तथा जब कभी देश के अधिकांश भाग में आधार उपलब्ध हो जाएगा तब बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) आउटलेट पर आधार समर्थित भुगतान के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा।

पूर्व में यह देखा गया कि अधिकांश खोले गए खातों में पर्याप्त संख्या में लेन-देन नहीं हुए थे, ये बैंक के लिए व्यवहार्य हो। इसका कारण यह था कि ये खाते उचित लिंकेज के बिना खोले जा रहे थे, अब वर्तमान योजना में, इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए छठा स्तंभ दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब, इस प्रकार के खातों को एटीएम से जोड़ा जाएगा ताकि वे अन्य लाभों से भी जुड़ने में सक्षम हों। अभियान के इस

स्तंभ का दृष्टिकोण निम्न प्रकार से होगा:

7.2.1 बचत खाता जीरो बकाया से खोला जाना (बीएसबीडीए)। आसानी से बचत खाता खोलने के लिए बैंकों को सलाह दी जाएगी कि "ई-ग्राहक को जानिए" दृष्टिकोण को अपनाया जाए। वैसी शाखाएं, जिन्होंने इस सुविधा को अमल में नहीं लाया है, के द्वारा इस सुविधा को बीसी स्तर तक समाहित किया जाना चाहिए।

7.2.2 खाता खोलने में समय में कमी लाने के उद्देश्य से, इस अभियान के अंतर्गत बचत खाता खोलने का एक पृष्ठ का फॉर्म तैयार किया गया है (अनुलग्नक-8 में संलग्न है)। तुरंत सभी बैंक अपने खाता खोलने के फॉर्म में उचित संशोधन कर लेंगे।

7.2.3 प्रत्येक बचत खाताधारक को एटीएम/डेबिट (रूपे) कार्ड प्रदान किया जाएगा। देश में प्राक्कलन के अनुसार 13.8 करोड़ कृषि भूमि धारक हैं। उनमें से 10.2 करोड़ भूमिधारकों/कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। वर्तमान अभियान में यह प्रयास किया जाएगा कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक को (रूपे) केसीसी कार्ड एवं गैर-कृषक को रूपे (डेबिट कार्ड) प्रदान किए जाएं। कार्ड में ₹1 लाख तक की दुर्घटना बीमा कवर समाहित होगा।

7.2.4 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से यह पता किया गया है कि जारी किए जा रहे "रूपे" कार्ड में किसी भी प्रकार के उत्पाद/परिचालन में कोई भी दबाव नहीं है। प्राक्कलन के अनुसार प्रतिदिन लगभग 18.00 लाख निर्माण क्षमता है। उपलब्ध पर्सनलाइजेशन क्षमता भी 7.75 लाख प्रतिदिन है।

7.2.5 सहकारी/शहरी सहकारी बैंकों का वह नेटवर्क जो कि सीबीएस प्रणाली पर है को कवर न किए गए परिवारों के खाता खोलने हेतु प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

7.2.6 इस खाते को खाता धारकों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, जिससे खाते एकल बिंदु प्राप्त सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी)/केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से जुड़ जाएं। वर्तमान में सीधे लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत एलपीजी/गैस डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है और इस योजना पर अध्ययन के लिए गठित ढांडे

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अन्य सरकारी योजना डीबीटी के अंतर्गत जारी है, परंतु सरकार के विभागों के द्वारा बैंकों को देय कमीशन अब भी प्रदान नहीं किये गये हैं। सीधे लाभ अंतरण पर एल.पी.जी. के लिए डीबीटी में कोई कमीशन के लिए व्यय विभाग (डीओई) द्वारा सहमति इस तर्क पर नहीं दी गई है कि यह बैंकों के लिए एक सामान्य परिचालन है, जबकि अन्य योजना में 2% कमीशन बैंकों द्वारा बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) पर हुए व्यय की क्षति-पूर्ति के लिए है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने इस मामले को व्यय विभाग के समक्ष उठाया एवं बताया कि बैंकों को इस योजना के परिचालन के साथ-साथ ग्राहकों की शिकायतों का भी निवारण करना होता है। परंतु इन प्रयासों का कोई परिणाम नहीं आया। बैंकों द्वारा डीबीटी योजना के लिए पूर्ण रूप से सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु इन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। डीबीटी-एलपीजी, जो सभी डीबीटी योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है, को पुनः शुरू करने की आवश्यकता है।

7.2.7 खाता खोलने के दौरान आधार संख्या के लिए लाभार्थियों को नामांकित करने के लिए यूआईडीआई के प्रयासों के साथ समेकन किया जाएगा। अभियान के दौरान इस प्रकार सृजित ईआईडी संख्या खोले गए बैंक खाते में रखे जाएंगे। जब कभी यूआईडी संख्या सृजित की जाएगी ईआईडी को यूआईडी संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

7.2.8 यह प्रस्तावित है कि एलपीजी में डीबीटी सहित डीबीटी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में कारगर होगी। डीबीटी योजना की सूची अनुलग्नक-8 में संलग्न है।

7.2.9 ए. मैक्किन्से (2011) अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक भारतीय परिवार को डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा स्वचलित सरकारी भुगतान से जोड़ने पर 22 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष की बचत होगी, इनमें से 80% लीकेज में कमी के कारण होगी।

7.2.10 प्रत्येक खाताधारक को वित्तीय साक्षरता सत्र में यह बताया जाना चाहिए कि अपने धन एवं क्रेडिट सुविधा का प्रबंधन किया जाए।

7.2.11 कैंप का आयोजन करके खाता खोला जाना

चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समयबद्ध समय में सभी पात्र नागरिकों के लिए खाता खोला जा सके उसके बाद इस प्रकार के कार्यक्रम को जारी रखा जाए। कैंप आयोजन करने की तिथि एवं समय का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। कैंप का आयोजन सरकार तथा बैंक अधिकारियों के समन्वय से किया जाएगा। प्रत्येक कैंप में बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) तथा बैंक अधिकारी पर्याप्त एओएफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा खाता खोलने के लिए अन्य स्टेशनरी सुनिश्चित करेंगे।

7.2.12 प्रत्येक गाँव में 100% उपलब्धि प्राप्त होने तक बैंक को एक से अधिक कैंप का भी आयोजन करने की आवश्यकता हो सकती है।

7.2.13 सभी स्व-सहायता समूह सदस्यों के लिए खाता खोलने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के प्रयासों के साथ अभिसरण।

7.2.14 केंद्रीय भविष्यनिधि आयुक्त (सीपीएफसी) को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रक्रिया के रूप में ईपीएफओ के सभी सदस्यों के लिए बैंक खाता खोलने तथा खातों के जरिए निधियों के प्रवाह हेतु भारत सरकार की वित्तीय समावेशन नीति के संबंध में निदेश दिया गया है। सीपीएफसी अगस्त और सितंबर, 2014 माह के दौरान अपने सभी सदस्यों का बैंक खाता खोलने के लिए विशेष अभियान आरंभ कर रहा है जो मार्च 2015 तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत कवर न किए गए सभी परिवारों का खाता खोलने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ), एसएलबीसी के साथ बेहतर समन्वय के लिए सहयोजित अपर भविष्यनिधि आयुक्त (पीएफसी)/आरपीएफसी ग्रेड-1 को इसके सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एलडीएम भी ईपीएफ के एक प्रतिनिधि को जिला स्तरीय बैंकर समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करेंगे और भविष्यनिधि प्रतिष्ठानों में कैंप आयोजित करेंगे।

7.2.15 ग्राहकों को उनके छः माह तक बचत खाता/क्रेडिट इतिहास के संतोषजनक होने पर ₹5000/- तक का ओवरड्राफ्ट (ओडी) प्रदान

किया जा सकता है। इस प्रकार की ओडी सुविधा क्रेडिट गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जो कि सरकार के पास निधि को सृजित करने के लिए योजना प्रस्तावित है, जो कि इस दस्तावेज़ के सेक्शन 7.4 में आगे उल्लेखित है। इन खातों के लिए ब्याज दर + 2% या 12%, जो भी कम हो, की दर से (क्रेडिट गारंटी निधि के लिए भुगतान फ़ीस भी शामिल है) प्रस्तावित है। सभी सरकारी लाभ की राशि इसी खाते में आएगी-ताकि ब्याज की चुकौती को सुकर बनाया जा सके तथा खाते के निष्क्रिय हो जाने की संभावना को घटाया जा सके।

7.2.16 बैंक अभियान आरंभ करने के तीन माह के भीतर बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों के संबंध में सही रिपोर्ट के लिए ज़मीनी स्तरीय सर्वेक्षण करेंगे।

7.2.17 जब जिले के सभी परिवारों में बैंक खाता खोल लिया जाएगा, जिला अधिकारी यह प्रमाण-पत्र जारी करेंगे कि जिले में 100% खाता खोल दिये गए हैं। इसी प्रकार से जिस राज्य में सभी जिले कवर हो गए हैं उन्हें 100% कवर्ड राज्य घोषित किया जाएगा।

• कार्रवाई बिंदुओं का सार:

- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 करोड़ बैंक खाते खोले जाने अपेक्षित है।
- इसके साथ शहरी लोगों के लिए जिनके पास बैंक खाता नहीं है, 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले जाने अपेक्षित होंगे।
- बिना बैंक खाता वाले लोगों की पहचान
- निष्क्रिय खातों को पुनः चालू किया जाना
- कैंप के माध्यम से गांव स्तर पर खाता खोला जाना
- शहरी क्षेत्रों में कैंप के माध्यम से खाता खोला जाना
- रूपे डेबिट कार्ड सभी गैर-किसान क्रेडिट कार्ड खाता धारकों को प्रदान किए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए मैनुअल पास बुक प्रणाली के स्थान पर रूपे एटीएम कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राहक के नाम से व्यक्तिगत कार्ड तथा आधार संख्या उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

- कम कीमत वाले फोन पर बैंकों से भुगतान, आहरण एवं राशि के अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- इसके साथ मोबाइल वॉलेट का प्रयोग वित्तीय समावेशन में पैठ बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

7.3 वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट काउंसलिंग (एफएलसीसी) – वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसीसी) की पर्याप्त संख्या में स्थापना एवं वंचित वर्गों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने हेतु तंत्र:

यह महत्वपूर्ण तथ्य जनता को वित्तीय योजना एवं क्रेडिट उपभोग के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अनुभव से यह पाया गया है कि सूक्ष्म वित्त फर्म एवं स्व-सहायता समूह ऋण लेने के पहले जनता को यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली, बचत, क्रेडिट, समय से ऋण पुनर्भुगतान का महत्व एवं अच्छे क्रेडिट इतिहास बनाने के बारे में बताना जरूरी है कि वित्तीय प्रणाली की लाभ की जानकारी होनी चाहिए। वित्तीय साक्षरता को प्रदर्शित करने की एक मुख्य पद्धति वित्तीय साक्षरता केंद्र प्रतिस्थापित करना है जो निःशुल्क वित्तीय साक्षरता/शिक्षा तथा ऋण परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्च, 2013 के अंत तक 718 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसीसी) की स्थापना की गई। जागरूकता कैंप/चौपाल/सेमिनार एवं व्याख्यान के माध्यम से 2012-13 के दौरान कुल 22 मिलियन जनता को जागरूक किया गया। यद्यपि अधिकांश (एफएलसीसी) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नहीं किए गए। वर्तमान योजना का लक्ष्य यह है कि (एफएलसीसी) को खंड स्तर तक बढ़ाया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि ऋण उपभोग के लिए अनियमित वित्तीय प्रणाली के शोषण से मुक्ति दिलायी जाए—

7.3.1 वित्तीय समावेशन का उद्देश्य यह है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय सेवाओं को समाज के उस वर्ग तक



पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके जो अब तक उनसे वंचित है। वित्तीय बाजार अब उपभोक्ताओं को अलग-अलग विकल्प प्रस्तुत कर रहा है परंतु वित्तीय साक्षरता उपभोक्ताओं को उचित विकल्प की जानकारी देता है। उचित विकल्प वित्तीय सेवाओं में मांग को मार्ग दर्शन देता है।

7.3.2 भारत जैसे देशों में जिनमें विविधतापूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है वित्तीय साक्षरता विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए तर्कसंगत है जो संसाधन विहीन हैं तथा जो सीमांत हैं तथा सतत घटते वित्तीय दबावों द्वारा अरक्षित हैं। कोई स्थापित वित्तीय जागरूकता न होने के कारण बैंक रहित गरीब महंगे विकल्पों की ओर धकेले जाते हैं।

7.3.3 विश्व में भारत सबसे प्रभावशाली वित्तीय बाजार तकनीकी, विनियम एवं प्रणाली के आधार पर है। भारत में वित्तीय साक्षरता अति महत्वपूर्ण है, यह विकासशील देश गरीबी की समस्याओं के साथ निरक्षरता एवं जनसंख्या की समस्याओं से जूझ रहा है। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना ही अंतोगत्या वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, एवं वित्तीय स्थिरता भूमंडलीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है। भारत में वित्तीय साक्षरता, साक्षरता से भी अधिक महत्व रखती है और इसके अभाव में समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या स्थापित वित्त सेवा से वंचित रह जाती है।

7.3.4 हमें देश की बचत को देश के निवेश में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। सभी लोग भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बचत करते हैं। परंतु दृष्टिकोण अधिकतर समय में यह रहता है कि अधिक राशि की बचत की जाए, परंतु परिवार के बजट एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

7.3.5 वित्तीय समावेशन का प्रभाव, हाल ही का अनुभव, सूक्ष्म वित्तपोषण के क्षेत्र में यह दर्शाता है कि गरीबों के द्वारा लिया गया ऋण उनकी भुगतान क्षमता से अधिक होता है। किसान भी लिये गए ऋण का भुगतान करने में असक्षम हैं। उनमें से अधिकतर ऋण समस्याओं के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। जब तक वित्तीय साक्षरता के साथ वित्तीय समावेशन सब तक नहीं पहुंचेगा, गरीब जनता को सहायता के स्थान पर उन्हें हम

अधिक समस्या में ही डाल रहे हैं।

7.3.6 भारत में वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) ने वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों: भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए एवं एफएमसी के सहयोग से राष्ट्रीय वित्त शिक्षा केंद्र की स्थापना की है। इसे आगे सहयोगी रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की भूमिका एवं कार्य को मजबूत बनाया जाएगा।

7.3.7 भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना है— “जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि योजना 2014” जिसका सृजन जमाकर्ताओं के द्वारा 10 वर्षों एवं उससे ऊपर की अवधि तक अदावाकृत राशि से किया गया है। इस निधि की आंशिक राशि का उपयोग वित्तीय साक्षरता जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

7.3.8 वित्तीय साक्षरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी जीविका (एनयूएलएम) के समेकन का प्रयास किया जाएगा। एनआरएलएम तथा एनयूएलएम के साथ कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

7.3.9 मूलभूत वित्तीय साक्षरता प्रदान करना प्रस्तावित है जिसमें खाता खोलने के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविरों के दौरान एटीएम कार्ड का प्रयोग करना तथा देय ओवरड्राफ्ट की चुकौती के लाम शामिल हैं।

7.3.10 ग्रामीण शाखाओं में वित्तीय साक्षरता कक्षाओं की स्थापना करना प्रस्तावित है।

7.3.11 वित्तीय साक्षरता सामग्री का भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा मानकीकरण किया जायेगा। इसके बाद प्रचार-प्रसार के लिए इसका स्थानीय भाषा में अनुवाद करने/बदलने की आवश्यकता होगी।

7.3.12 जेएल ग्रुप तथा स्व-सहायता समूह वित्तीय साक्षरता प्रचार में सहायता प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) की जिम्मेदारी होगी कि वह जेएल समूहों/स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता अभियान की निगरानी

करें। मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक राज्य स्तर पर ऐसी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

• कार्रवाई बिन्दुओं का सार:

- एफएलसीसी का दायरा बढ़ाने के लिए इसमें सुधार करना तथा ब्लॉक स्तर तक विस्तार करना।
- सभी पणधारियों से परामर्श करके पाठ्यक्रम सामग्री को अंतिम रूप देना।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रशिक्षण हेतु प्रौद्योगिकी का प्रभावकारी उपयोग करना
- निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई

7.4 क्रेडिट गारंटी फंड:

इस योजना का चौथा स्तंभ क्रेडिट गारंटी फंड का सृजन करना है। इसे राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी निगम (एनएसजीसी) में सृजित किया जाना प्रस्तावित है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार मार्च, 2014 तक 5.90 मिलियन मूल बैंकिंग खातों को ₹16 बिलियन को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त थी (ये आंकड़े क्रमशः मार्च, 2013 में 3.92 मिलियन तथा 1.55 बिलियन थे) तथापि, यह मानते हुए कि मार्च, 2014 तक 242 मिलियन खाते खोले गए, ओवरड्राफ्ट सुविधा इन खातों में बहुत कम मात्रा में ली गई है। इसके कारण ये हो सकते हैं—

- प्रत्येक खाते के लिए ₹2500/- की सीमा वह भी चुनिंदा आधार पर।
- बैंकों द्वारा इन खातों में पाई गई चूकों ने उन्हें उधार देने से रोका।

7.4.1 ₹ 5000/- तक का प्रावधान जैसा कि बहु आयामी लामों के रूप में अनुमानित है—

7.4.1.1 यह आपातकालीन फंड गरीब ऋणकर्ता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, कृषि आदि को पूरा करने में बहुत मददगार होंगे। यह विचार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए है।

7.4.1.2 इस खाते का प्रबंध करना सीखने से उनके क्रेडिट इतिहास को बनाकर यह पर्याप्त ऋण देने की तरफ पहला कदम होगा। यह बैंकों के लिए भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर ऋण मूल्यांकन में मदद करेगा।

7.4.1.3 ₹5000/- के ओवरड्राफ्ट के रूप में यह प्रावधान 6 महीनों के संतोषजनक परिचालन, बचत/ऋण इतिहास के बाद किया जाता है। (यह क्रेडिट है अनुदान नहीं है)

7.4.1.4 बैंक उन ग्राहकों के लिए उच्च ऋण सीमाओं के लिए पात्रता पर विचार कर सकते हैं जिनका एक वर्ष से अधिक का अच्छा क्रेडिट इतिहास है।

7.4.2 प्रारम्भ में वर्तमान योजना में ₹1000 करोड़ के कॉर्पस का क्रेडिट गारंटी फंड सृजित करने का प्रस्ताव है जिससे मूल बैंकिंग खातों में ओवरड्राफ्टों में चूकों के प्रति गारंटी प्रदान की जा सके। वर्ष 2013 के अनुमान के अनुसार 18.2 करोड़ मूल बैंकिंग खाते हैं तथा यह अनुमान है कि अभियान के अंत तक और 7.5 करोड़ खाते जुड़े जाएंगे। लगभग 25 करोड़ परिवारों में से 12 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डधारक हैं। अतः शेष 13 करोड़ परिवारों के लिए प्रत्येक हेतु ₹5,000/- तक का ओवरड्राफ्ट देने से कुल ₹65,000 करोड़ खर्च होगा। यह मानते हुए कि दो-तिहाई परिवार ओवरड्राफ्ट सुविधा लेते हैं, यह राशि ₹43000 करोड़ होगी। 1:10 का लीवरेज अनुपात का प्रयोग करते हुए आने वाले समय में हमें ₹4300 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आरंभ में, यह प्रस्ताव है कि ₹1000 करोड़ के कॉर्पस से शुरुआत हो। यह कॉर्पस भारत सरकार के लिए बजट निरपेक्ष होगा तथा नाबार्ड द्वारा चलायी जा रही वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) द्वारा फंड किया जायेगा।

- कार्य बिन्दु का सार:
- क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करना।

7.5 माइक्रो बीमा:

इस योजना का छटा स्तंभ लोगों को माइक्रो बीमा प्रदान करना है। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा पालिसियों की विशेष श्रेणी बनाई है जिसे माइक्रो बीमा पॉलिसी कहा जाता है। यह समाज के आर्थिक रूप से असुरक्षित वर्गों को बीमा कवरेज देने के लिए है। इरडा माइक्रो इश्योरेंस विनियमन, 2005 माइक्रो इश्योरेंस को परिभाषित करता है तथा समर्थ बनाता है। माइक्रो इश्योरेंस पॉलिसी ₹50,000 अथवा कम की बीमित राशि की सामान्य अथवा जीवन बीमा के रूप में हो सकती है।

सामान्य माइक्रो-इश्योरेंस उत्पाद निम्न हो सकते हैं

- स्वास्थ्य बीमा संविदा
- कोई भी संविदा जो संपत्ति को कवर करती है जैसे
 1. झोंपड़ी
 2. पशुधन
 3. उपकरण अथवा औज़ार अथवा
 4. कोई व्यक्तिगत दुर्घटना संविदा

ये व्यक्तिगत अथवा समूह आधार पर हो सकती है।

एक सूक्ष्म बीमा उत्पाद है:-

- आवधिक बीमा संविदा जो प्रीमियम की वापसी या बिना वापसी के हो।
- कोई भी बंदोबस्ती बीमा संविदा अथवा
- स्वास्थ्य बीमा संविदा

ये दुर्घटना लाम राइडर के साथ या इसके बिना हो सकती है तथा यह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आधार पर हो सकती है।

7.5.1 बीमाकर्ता के लिए विनियमों में शिथिलता है कि वह कंपोजिट कवरेज या पैकेज प्रोडक्ट का प्रस्ताव करे जिसमें जीवन तथा सामान्य बीमा कवर दोनों शामिल हैं: माइक्रो व्यवसाय निम्नलिखित मध्यवर्तियों के ज़रिए किया जाता है।

- गैर सरकारी संगठन
- स्व-सहायता समूह
- सूक्ष्म वित्त संस्था

7.5.2 अधिकतर संस्थाएं बीसीए के रूप में नियुक्त होती हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें माइक्रो इश्योरेंस बेचने के लिए माइक्रो बीमा एजेंट नियुक्त करने की भी अनुमति दी गई है।

7.5.3 माइक्रो इश्योरेंस पोर्टफोलियो ने लगातार प्रगति की है। अधिक से अधिक बीमाकर्ताओं ने अपने माइक्रो इश्योरेंस कार्य शुरू किए हैं तथा अनेक नए उत्पाद प्रतिवर्ष शुरू किए जा रहे हैं। वितरण नेटवर्क व्यापक रूप से मजबूत हुआ है तथा नये व्यवसाय ने अच्छी वृद्धि दिखाई है, यद्यपि मात्रा फिर भी कम है। माइक्रो इश्योरेंस व्यवसाय समूह पोर्टफोलियो के अधीन बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

बेची गई पालिसियों तथा माइक्रो-इश्योरेंस एजेंटों की संख्या, दोनों के संदर्भ में सबसे अधिक योगदान देता है।

7.5.4 प्राधिकरण द्वारा इरडा (माइक्रो इश्योरेंस) विनियमन, 2005 की अधिसूचना से गरीबों की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों को तैयार करने में लगातार वृद्धि हुई है। विनियमों में दी गई शिथिलताओं से बीमाकर्ता को कंपोजिट कवरेज अथवा पैकेज उत्पाद का प्रस्ताव करने की अनुमति है।

7.5.5 बैंक मित्र व्यवस्था को माइक्रो बीमा उत्पाद को प्रदान करने में सक्षम बनाया जाएगा तथा आम आदमी बीमा योजना जैसी योजनाओं के पूर्ण कवरेज।

कार्य बिन्दुओं का सार

- माइक्रो बीमा उत्पादों को प्रदान करने तथा आम आदमी बीमा योजना जैसी योजना के पूर्ण कवरेज के लिए विस्तार/वितरण प्रणाली को सक्षम बनाना (12 करोड़ परिवार का अनुमानित लक्ष्य, 4.6 करोड़ को कवर किया गया)।
- सीएससी केंद्रों से आधार समर्थित सूक्ष्म बीमा का प्रिंट किया जा सकता है।

7.6 असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना-स्वावलंबन:

इस योजना का छटा तथा अंतिम स्तंभ वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित है। लगभग 400 मिलियन लोग (भारत की कामगार आबादी के 85% से अधिक) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से, कम से कम 120 मिलियन महिलाएं हैं तथा उनमें से अधिकतर के पास किसी औपचारिक वृद्धावस्था सुरक्षा योजना तक पहुंच नहीं थी। अस्थिर श्रम बाजार संबद्धता, रुक-रुक कर (इन्टरमिटेन्ट) होने वाली आय एवं सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में कमी के कारण असंगठित कामगारों को उनके कामकाजी जीवन के दौरान आर्थिक आघातों के द्वारा अत्यधिक भेद्यता का सामना करना पड़ता है।

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2010 में प्रारंभ की गयी स्वावलंबन योजना एक ऐतिहासिक पहल है जो कि अब तक ध्यान न दिए गए असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को अपने कार्य

वर्षों के दौरान छोटी राशियों की बचत हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी वृद्धावस्था के दौरान पेंशन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। स्वावलंबन योजना बचतों को प्रोत्साहित एवं एकत्रित करने के लिए भारत सरकार से सह-अंशदान का उपयोग करती है।

स्वावलंबन योजना के अंतर्गत लाभ:

- योजना असंगठित क्षेत्र के 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले भारत के किसी भी नागरिक हेतु उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को असंगठित क्षेत्र में माना जाएगा यदि वह केंद्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्वायत्त निकाय/सीपीएसयू, जिसमें नियोजित समर्थित सेवानिवृत्ति योजना है, का नियमित कर्मचारी न हो, अथवा किसी सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा कवर न होता हो।
- भारत सरकार उन सभी पात्र एनपीएस स्वावलंबन खातों में, जहां पर अभिदाता प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹1000 से अधिकतम ₹12,000 जमा कराता है विनिर्धारित अवधि तक ₹1000 प्रतिवर्ष का अंशदान करती है। वर्तमान में, भारत सरकार के सह-अंशदान का लाभ 2016-17 तक उपलब्ध है।
- अभिदाता विनिर्दिष्ट आयु पर योजना छोड़ सकते हैं, जन एकत्रित संचित निधि अभिदाता को आंशिक रूप से एकमुश्त रकम के रूप में तथा आंशिक रूप से वार्षिकी के रूप में दी जाती है।
- योजना का विनियमन एवं प्रबंधन पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामकीय एवं विकास प्राधिकरण) द्वारा किया जाता है जो कि संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- स्वावलंबन एक कम लागत वाली, इष्टतम (ऑप्टिमाइज्ड) विशेषताओं वाला मॉडल है जो कि नेशनल पेंशन प्रणाली के सुसज्जित संघटन पर कार्य करता है तथा पूर्णतया आईटी समर्थित है जिसमें निधियों के निवेश के लिए पेशेवर निधि प्रबंधक हैं तथा अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण निवेश दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।
- आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, असम, बिहार तथा राजस्थान जैसे राज्यों में राज्य सरकारों की कंपनियों ने विभिन्न अभिदाता समूहों के लिए अपनाया है तथा इनमें से कुछ स्वावलंबन

खाता लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त सह-अंशदान भी कर रही हैं।

स्वावलंबन से कैसे जुड़ सकते हैं:

- एनपीएस/स्वावलंबन 'एग्रीगेटर' नामक प्राथमिक स्तर के मध्यवर्तियों के माध्यम से, जो कि अभिदाता तथा एनपीएस संघटन के मध्य अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराते हैं, प्रचालित की जाती है। वे अभिदाताओं को, पीएफआरडीए विनियमनों के अनुरूप, सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। इन 79 एग्रीगेटरों में अन्य के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, राज्य सरकारों की कुछ कंपनियां, एनएलसीसी नामक 80,000 से अधिक पंजीकृत संपर्क बिन्दुओं वाले एमएफआई शामिल हैं।
- पीएफआरडीए इन एग्रीगेटरों को कड़ी समुचित सतर्क प्रक्रिया के उपरांत पंजीकृत करता है।
- एनपीएस/स्वावलंबन के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

एनपीएस स्वावलंबन योजना का कार्य निष्पादन:

- योजना को काफी जोरदार समर्थन मिला है, प्रचालन के चार वर्षों के दौरान 75 प्रतिशत सीएजीआर दिखाई दिया है।
- आंगनबाड़ी कामगार, आशा कामगार, निर्माण कामगार, महिला एसएचजी इत्यादि बड़ी संख्या में योजना से जुड़े हैं।
- योजना के विशिष्ट अभिदाताओं की कुल संख्या 2.7 मिलियन से अधिक हो गयी है।
- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 1.6 मिलियन अभिदाताओं ने स्वावलंबन सह-अंशदान प्राप्त कर लिया है।
- पात्र अभिदाताओं में 50% से अधिक 40 वर्ष की आयु से कम हैं, तथा 70% से अधिक महिलाएं हैं, इसलिए योजना ने दीर्घावधिक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के लिए उचित अभिदाता आधार के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।
- मार्च, 2014 तक सरकार के ₹363 करोड़ के कुल अंशदान के मुकाबले अभिदाताओं का अपना अंशदान ₹564 करोड़ रहा है अर्थात् योजना ने असंगठित क्षेत्र की छोटी बचतों को एकत्र करने

तथा उसे वृद्धावस्था आय सुरक्षा की ओर मोड़ने के लिए सरकारी निवेश के 1.6 गुणा के गुणांक को हासिल कर लिया है।

- वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,01,980 अभिदाता, 2011-12 के दौरान 6,43,979 अभिदाता तथा 2012-13 के दौरान 11,01,079 अभिदाता लाभान्वित हुए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 तक 15,94,970 अभिदाता लाभान्वित हो सके।
- कवरेज के विस्तार के लिए बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) का उपयोग किया जाएगा।

अधिक जानकारी की सुविधा/एनपीएस स्वावलंबन से जुड़ने के लिए

संपर्क करें: कॉल सेंटर: 1800 110 708

एसएमएस भेजें: NPS अंकित करें तथा उसे 56677 पर एसएमएस करें (प्रभार लागू होंगे)

वेबसाइट देखें: www.pfrda.org.in

कार्य बिंदु का सार:

- स्वावलंबन जैसी पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज के लिए विस्तार/वितरण तंत्र का प्रयोग
- देश में अनुमानतः 35 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं। दिनांक 31.03.2014 तक 15.94 लाख अभिदाता नामांकित हुए हैं।

वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी की भूमिका



8. वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- देश में बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय समावेशन लोकप्रिय नवप्रयोग हैं। वित्तीय समावेशन में अब तक मुख्य अड़चन हैं – अधिक संख्या तथा कम मात्रा, जिसके परिणामस्वरूप लागतें अवहनीय हो जाती हैं। वहनीय स्तर तक लागतों को कम करने तथा देश के सुदूर/सबसे किनारे वाले छोर तक पहुंच में सुधार करने के लिए केवल एक उपाय प्रौद्योगिकी का प्रभावी रूप से उपयोग करना है।
- समूचे देश में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागत, सुविधा, पहुंच की गति के अनुरूप माहौल बदलने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पाद, जैसे कि ई-केवाईसी, आईएमपीएस, एईपीएस, मोबाईल बैंकिंग इत्यादि में अपार क्षमता है। बैंकों के व्यवसायिक मॉडलों, दूरसंचार ऑपरेटर्स तथा अन्य पणधारकों के अभिसरण की आवश्यकता है।
- आरबीआई के मार्गदर्शन में विभिन्न संगठन, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) इत्यादि नए प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों को लाने में प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे हैं।

- इसलिए, रिजर्व बैंक ने वर्षों से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी तैयार करने के लिए सतत रूप से कार्य किया है। बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को अपनाया जाना है। सीबीएस किसी भी स्थान पर किसी भी समय बैंकिंग के लिए ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि सीबीएस से इतर क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी विकास का प्रयोग किया जाए जो कि न केवल ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा दक्ष सेवाएं उपलब्ध कराएं, अपितु सूचना का सृजन तथा प्रबंधन भी प्रभावी रूप से करें। सीबीएस को अपनाने के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, मोबाईल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम इत्यादि की सुविधा मिली है। जन साधारण को बैंकिंग आउटरीच प्रदान करने में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों में से कुछ नीचे दिए गए हैं:

- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) अपनाया जाना।
- इसके बाद, हस्तचलित उपकरणों, मोबाईल, कार्ड, माइक्रो-एटीएम तथा कियोस्क का



उपयोग करते हुए एक बहु-आयामी शाखाविहीन (ब्रांचलेस) तरीके का उपयोग।

- लेन-देनों को ऐसे प्रारंभिक (फ्रंट-एंड) डिवाइसों के माध्यम से करना जो कि बैंकों के सीबीएस के साथ बिना किसी परेशानी के एकीकृत हो।
 - आरटीजीएस (तत्काल सकल निपटान) जैसी इलैक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन,
 - इलैक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस),
 - इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी),
 - चैक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस),
 - मोबाईल फोन इत्यादि का प्रयोग करते हुए बैंकिंग लेन-देन।
- वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्रधान मंत्री जन-धन योजना की वर्तमान योजना में समयबद्ध तरीके से लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग करना प्रस्तावित है। कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद नीचे दिए गए हैं:

(i) इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी)

आरबीआई ने वर्ष 2013 में धन आशोधन की रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली, 2005 के अंतर्गत केवाईसी सत्यापन के लिए ई-केवाईसी को एक वैध प्रक्रिया के रूप में अनुमत किया। पहचान संबंधी घोखाघड़ी, दस्तावेजी जालसाजी के जोखिम को कम करने तथा कागज रहित केवाईसी सत्यापन के उद्देश्य से यूआईडीएआई ने अपनी ई-केवाईसी सेवाएं शुरू की हैं। ई-केवाईसी प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राहक की पूर्ण सहमति के तहत तथा यूआईडीएआई डाटाबेस से उसके बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के उपरांत व्यक्ति के नाम, आयु, लिंग तथा तस्वीर को बैंकों जैसे प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपयोग करना केवाईसी के लिए एक वैध प्रक्रिया है।

उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया कागज रहित है तथा उससे आधार संख्या वाले ग्राहकों का खाता खोलना काफी आसान हो गया है। लगभग सभी बैंकों ने या तो इस प्रक्रिया को अपना लिया है अथवा वे इस प्रणाली को अपनाने के अग्रिम चरण में हैं। भविष्य में, खाता खोलने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा।

(ii) मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन:

मोबाईल फोन क्रांति जो कि देश में परिवर्तन ला रही है, उसकी पहुंच तथा लेन-देन के अनुरूप बैंकिंग क्रांति के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में, भारत में मोबाईल की संख्या 886 मिलियन है। दूर-दराज के गांवों तक मोबाईल की पहुंच तथा आम आदमी द्वारा उसका उपयोग आज का फैशन बन गया है तथा यह अनुमान है कि मोबाईल उपयोगकर्ताओं में से लगभग एक-चौथाई व्यक्ति गांवों/छोटे शहरों में रह रहे हैं। मोबाईल फोन की कवरेज तथा जनसंख्या के सभी वर्गों द्वारा ऐसे उपकरणों के उपयोग का वंचित जनसंख्या को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह अभिदाताओं को स्थान तथा समय की स्वतंत्रता से अपने वित्तीय लेन-देनों (निधि अंतरण) का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। अभिदाता धन के आहरण/जमा हेतु मोबाईल नेटवर्क के रिटेलर से संपर्क कर सकता है तथा एसएमएस संदेशों का उपयोग करते हुए लेन-देन हो जाता है।

मोबाईल बैंकिंग सेवाएं सामान्यतया जावा, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, आई फोन तथा विंडोज मोबाईल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध हैं। मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाएं—जैसे कि निधि अंतरण, तत्काल भुगतान सेवा, पूछताछ सेवा (शेष पूछताछ/लघु विवरणी), डीमैट खाता सेवा, चैक बुक के लिए अनुरोध, बिल भुगतान इत्यादि की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। मोबाईल बैंकिंग के लिए लेन-देन की सीमाएं हैं तथा यह सेवाएं निःशुल्क हैं। मोबाईल बैंकिंग सेवाएं एसएमएस पर भी उपलब्ध हैं।

“मोबाईल बैंकिंग” का उपयोग करते हुए एक मोबाईल आधारित पिन (पीआईएन) प्रणाली के माध्यम से बैंक खातों से मूलभूत वित्तीय लेन-देन किए जा सकते हैं। वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत परिवारों के कवरेज के लिए मोबाईल टेलीफोनी तथा प्रीपेड वॉलेट का भी उपयोग किया जाएगा।

(iii) तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस):

एनपीसीआई द्वारा 22 नवंबर, 2010 को तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) की शुरुआत की गयी थी। यह मोबाईल फोन के साथ-साथ अंतर बैंकिंग तथा एटीएम के माध्यम से एक तत्काल, 24x7 अंतर बैंक इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा उपलब्ध कराती है। पूरे बैंक में विप्रेषणों की प्रक्रिया में चार पणधारक, अर्थात् (i) विप्रेषणकर्ता (मेजने वाला), (ii) लाभार्थी (प्राप्तकर्ता), (iii) बैंक, तथा (iv) राष्ट्रीय वित्तीय स्विच – एनपीसीआई हैं।

आईएमपीएस के माध्यम से निधि विप्रेषण हेतु विप्रेषणकर्ता को धन भेजने के लिए मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना चाहिए, प्राप्तकर्ता मोबाइल संख्या उसके बैंक के साथ पंजीकृत होनी चाहिए जिससे धन प्राप्तकर्ताओं के खाते में तत्काल जमा किया जा सके। पंजीकरण हेतु विप्रेषणकर्ता को मोबाइल बैंकिंग के लिए दर्ज होना चाहिए तथा लेन-देन प्रारंभ करने के लिए मोबाइल मनी आईडेन्टीफायर (एमएमआईडी) एवं मोबाइल बैंकिंग पिन (एमपीआईएन) प्राप्त करना चाहिए। एमएमआईडी एक सात अंकों की संख्या है, जो कि दर्ज होने के उपरांत ग्राहक को बैंक द्वारा जारी की जाती है। लाभार्थी को बैंक खाते के साथ अपनी मोबाइल संख्या दर्ज करानी होगी तथा एमएमआईडी प्राप्त करना होगा। विप्रेषणकर्ता लाभार्थी की मोबाइल संख्या, लाभार्थी का एमएमआईडी तथा राशि टंकित करके अपने बैंक को एसएमएस भेजकर आईएमपीसी लेन-देन प्रारंभ कर सकता है। प्राप्तकर्ता को उसके खाते में जमा के लिए एसएमएस पुष्टि प्राप्त होगी। भारतीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा को सुकर बनाती है।

(iv) सूक्ष्म-एटीएम

सूक्ष्म-एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम हस्तचलित उपकरण हैं। ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एटीएम को व्यवहार्य बनाने हेतु कम दाम वाले सूक्ष्म एटीएम प्रत्येक बैंक मित्र स्थान पर लगाए जाएंगे। यह किसी व्यक्ति को किसी विशेष बैंक मित्र/व्यवसाय प्रतिनिधि से संबद्ध बैंक को दरकिनार करते हुए तत्काल राशि जमा करने अथवा निकालने के लिए सक्षम बनाएगा। यह उपकरण मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित होगा और यह प्रत्येक बैंक मित्र/व्यवसाय प्रतिनिधि के पास उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहकों को उनकी पहचान अधिप्रमाणित करानी होगी और धन उनके बैंक खाते से निकालना अथवा जमा करना होगा। यह धन बैंक

मित्र/व्यवसाय प्रतिनिधि के नकद आहरण से आएगा। बैंक मित्र ग्राहकों के लिए अनिवार्य रूप से बैंक के रूप में कार्य करेगा और उसे केवल उन ग्राहकों के, जो यूआईडी प्रयोग कर रहे हैं, प्रमाणीकरण की जांच करनी होगी। आधारमूत लेन-देन के प्रकार जो सूक्ष्म एटीएम द्वारा समर्थित होंगे वे हैं – जमा, निकासी, निधि अंतरण और बैलेंस इन्क्वायरी। सूक्ष्म एटीएम बैंक रहित जनसंख्या के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने का सबसे आशाजनक विकल्प देता है। सूक्ष्म एटीएम के पास प्रमाणीकरण के विभिन्न विकल्प होंगे जैसे – बायोमेट्रिक, पीआईएन आधारित आदि और यह ग्राहकों को उनके घर के नजदीक लेन-देन करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल एटीएम के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा।

सूक्ष्म एटीएम देश में सभी को आनलाइन अंतर परिचालनीय सस्ते पुनर्भुगतान का प्लेटफार्म देते हैं।

(v) राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफार्म (एनयूयूपी)

मोबाइल बैंकिंग जनसमूह तक बैंकिंग सुविधा की पहुंच बढ़ाने के एक बहुत ही शक्तिशाली तरीकों में से एक है। आज, मोबाइल फोन लगभग 900 मिलियन फोन कनेक्शन के साथ एक घरेलू उपकरण बन गया है।

मोबाइल बैंकिंग सेवा, एसएमएस – एक अन-एनक्रिप्टेड सेवा जो असुरक्षित समझी जाती है – अथवा मोबाइल बैंकिंग ऐप, के प्रयोग द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। यद्यपि इतना इंटरएक्टिव होने के बावजूद मोबाइल बैंकिंग ऐप में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनको मोबाइल फोन पर ही डाउनलोड और इन्स्टाल करने की आवश्यकता होती है। 40% से कम भारतीय उपयोगकर्ताओं के पास जे2एमई अनुकूल हैंडसेट और जीपीआरएस कनेक्शन हैं जो कि इस प्रणाली की आवश्यकता है।

उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए यूएसएसडी प्लेटफार्म पर एक वैकल्पिक समाधान है। ग्राहक फोन की कंपनी और मॉडल का विचार किए बिना जीएसएम नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल फोन के माध्यम से यूएसएसडी साल्यूशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों के मोबाइल पर किसी भी ऐप्लिकेशन को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही जीपीआरएस सम्पर्कता की। यूएसएसडी प्रयोक्ता अनुकूल (यूजर फ्रेंडली) पर कार्य करता है। इसलिए यह सम्पर्क करने और साथ ही

ग्राहकों को शिक्षित करने में भी आसान है। यूएसएसडी ऐप्लिकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता को कम करता है और यह एसएसएम चैनल के मुकाबले अधिक सुरक्षित है।

बैंकिंग ग्राहक इस सेवा का प्रयोग उनके मोबाइल पर *99# डायल करके कर सकते हैं जो कि एक "समी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) की एक सार्वजनिक संख्या" है और जो मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित पारस्परिक मेन्यू के माध्यम से चलाया जाता है।

*99# का प्रयोग करके ग्राहक वित्तीय सेवा जैसे निधि अंतरण और गैर-वित्तीय सेवा जैसे बैलेंस इन्क्वायरी और बैंक खाते का सूक्ष्म विवरण दोनों तक उनकी अपनी सुविधानुसार पहुँच बनाने में सक्षम होंगे। सम्पूर्ण सेवाएं जो एनयूयूपी उपलब्ध कराएगी उनमें अन्य सेवाएं प्रदान करने के साथ अंतर बैंक खाते से खाता निधि अंतरण, बैलेंस इन्क्वायरी, सूक्ष्म विवरण देना शामिल है। आधार मैपर पर पूछताछ सेवा (क्यूएसएम) की शुरुआत एनयूयूपी सेवा में एक महत्वपूर्ण समावेशन है। इस ढांचे के अंतर्गत प्रयोक्ता बैंक के साथ अपने आधार से जुड़ने की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। यह वह सेवा है जो सरकार के सीधी सब्सिडी संवितरण कार्यक्रम में व्यापक उपयोग होगा। यह उत्पाद 28 अगस्त, 2014 को प्रारम्भ किया जाना निश्चित किया गया है।

(vi) रूपे डेबिट कार्ड

रूपे, एक नई कार्ड योजना है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कार्पोरेशन (एनीसीआई) द्वारा प्रारंभ की गई है जो कि भारत में सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में घरेलू ओपन लूप, बहुपक्षीय प्रणाली प्रदान करने हेतु शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान करेगा। "रूपे" शब्द अपने आप में राष्ट्रीयता का द्योतक रखता है। "रूपे" रूपे और भुगतान दो शब्दों से मिलकर बना है। रूपे कार्ड भारतीय उपभोक्तकों, व्यापारियों और बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। रूपे डेबिट कार्ड के लाभ हैं – उत्पाद प्लेटफार्म का लचीला होना, स्वीकार्यता के उच्च स्तरीय और रूपे ब्राण्ड की शक्ति – जो सभी बढ़े हुए उत्पाद अनुभव में सहयोग देंगे। मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं:-

- कम लागत एवं वहीनीयता
- अनुकूलित उत्पाद की पेशकश
- भारतीय ग्राहकों से संबंधित सूचना का संरक्षण
- अप्रयुक्त/अनन्वेषित ग्राहक वर्ग को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का विकल्प उपलब्ध

कराना।

(vii) आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस)

ईपीएस एक बैंकिंग उत्पाद है जो पीओएस (सूक्ष्म एटीएम) या किओस्क बैंकिंग में किसी भी बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से अंतर-प्रचालन योग्य वित्तीय समावेशन संव्यवहार की अनुमति देता है। वर्तमान में, 4 बुनियादी प्रकार के आधार समर्थित बैंकिंग संव्यवहार उपलब्ध हैं, जैसे (i) शेष पूछताछ (ii) धन निकासी (iii) धन जमा, तथा (iv) आधार से आधार में निधि का अंतरण। ग्राहक द्वारा ईपीएस संव्यवहार शुरू करने के लिए दो निविष्टियाँ जैसे आईआईएन (यह पहचान करना कि ग्राहक किस बैंक से जुड़ा है) तथा आधार संख्या अपेक्षित है।

(viii) आधार भुगतान योजना प्रणाली (एपीबीएस)

आधार भुगतान योजना प्रणाली सरकार तथा सरकारी संस्थाओं से लाभार्थियों के बैंक तथा डाक घरों में आधार समर्थित खातों में भुगतान अंतरित करने को सक्षम बनाती है। किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) तथा डीबीटी/डीबीटीएल भुगतान भेजने वाले सरकारी विभाग या संस्थाओं को केवल आधार संख्या तथा राशि युक्त फाइल तैयार करके उसे अपने प्रत्यायित बैंक में जमा करना होता है। इसके उपरांत प्रत्यायित बैंक इस फाइल पर अंतर-प्रचालन योग्य आधार भुगतान योजना के माध्यम से कार्यवाही करता है तथा लाभार्थियों के खाते में निधि जमा हो जाती है। आवक निधियां प्राप्त होने पर लाभार्थी के बैंक उसे एसएमएस या अन्य किसी सूचना माध्यम के जरिए, जो बैंक तथा ग्राहक के बीच निर्धारित है, उसे सूचित कर देता है।





निगरानी की प्रशासनिक संरचना



9. निगरानी की प्रशासनिक संरचना:

9.1 केंद्रीय स्तर:

	अध्यक्षता	अन्य सदस्य	निगरानी की समयावधि
मिशन प्रमुख	वित्त मंत्री	संचार मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, सचिव (वित्तीय सेवाएं) गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिव (दूरसंचार), सचिव (ग्रामीण विकास), अध्यक्ष (आईबीए)	तिमाही
संचालन समिति	सचिव (वित्तीय सेवाएं)	डिप्टी गवर्नर (आरबीआई), महानिदेशक, एनआईसी, मुख्य कार्यपालक, आईबीए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल, बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, नाबार्ड, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनपीसीआई	मासिक
मिशन निदेशक	संयुक्त सचिव (एफआई)	बैंकों, नाबार्ड, एनपीसीआई, बीएसएनएल के नोडल अधिकारी	साप्ताहिक/पाक्षिक

9.1.1 निदेशक (एफआई) अपर मिशन निदेशक होंगे।

9.2 राज्य स्तर:

	अध्यक्षता	अन्य सदस्य	निगरानी की समयावधि
राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति	एनआरएलएम के साथ समेकन प्राप्त करने के लिए अधिमानतः मिशन निदेशक, एनआरएलएम प्रधान सचिव (वित्त)	मुख्य बैंकों के प्रमुख, आरबीआई तथा नाबार्ड, बीमा कंपनियों आदि के क्षेत्रीय प्रमुख	मासिक

9.2.1 राज्य की राजधानी में एसएलबीसी संयोजक बैंक के महाप्रबंधक राज्य कार्यान्वयन समिति के सचिव होंगे। राज्यों से कार्य के संयोजन में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए एसएलबीसी संयोजक बैंक में प्रतिनियुक्ति पर राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाता है।

9.3 जिला स्तर:

	अध्यक्षता	अन्य सदस्य	निगरानी की समयावधि
ज़िला स्तरीय	ज़िला कलेक्टर (डीसी)	ज़िला में बैंकों तथा नाबार्ड के वरिष्ठतम अधिकारी, एनआरएलएम के सदस्य, बीमा कंपनियों, ज़िला प्रशासन तथा स्थानीय निकायों के अधिकारी कार्यान्वयन समिति	पाक्षिक

9.3.1 अग्रणी ज़िला प्रबंधक (एलडीएम) कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

9.3.2 समिति की बैठक पाक्षिक आधार पर आयोजित की जाएगी। अवसंरचना के सृजन तक आरंभिक चरण में बैठक का आयोजन जल्दी-जल्दी किया जा सकता है। दो लगातार बैठकों में से किसी एक बैठक में जिला कलेक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

निगरानी तंत्र / एमआईएस



10. निगरानी तंत्र/एमआईएस:

- 10.1 ऑनलाइन निगरानी के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा financialservices.gov.in पर एक वेब पोर्टल सृजित किया जाएगा, क्षेत्र में बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) का सृजन गांव के समुचित कवरेज सुनिश्चित करने का एक साधन होगा।
- 10.2 सृजित की जाने वाली रिपोर्ट जिला-वार/राज्य-वार होगी तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होगा:-
- क) कवर न किए गए परिवारों सहित कवर किए गए गांव जहां नए खाते खोलने की आवश्यकता हो।
- ख) कवर न किए गए परिवारों सहित कवर किए गए गांव, कम से कम प्रति परिवार एक पूर्ण समर्थित खाता या पुराने खातों को पुनः चालू करना।
- ग) नए खाता खोलने की आवश्यकता वाले परिवारों सहित कवर न किए गए गांव।
- घ) कवर न किए गए परिवार, जिन्हें नए खाते खोलने/खातों को पुनः चालू करने की आवश्यकता है, सहित शहरी क्षेत्र।
- ङ.) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रखे गए नए बैंक मित्रों (व्यवसाय प्रतिनिधियों) की संख्या।
- 10.3 प्रत्येक बैंक में बैंक मित्रों (व्यवसाय प्रतिनिधियों) के कार्यों की निगरानी के लिए प्रणालीजनित एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए। इसका प्रारूप पूरी प्रणाली में मानक एवं एक समान हो। इस प्रयोजन हेतु इसे वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सृजित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किया जाएगा।
- 10.4 इस एमआईएस का लिंक वित्तीय सेवाएं विभाग के पोर्टल अर्थात् financialservices.gov.in
- से होगा। सभी बैंकों को इस पोर्टल में जाने के लिए अपेक्षित आईडी और पोर्टल पहले ही उपलब्ध कराए गए हैं।
- 10.5 अभियान के दौरान निगरानी के लिए एमआईएस रिपोर्ट दो भागों में एकत्रित किया जाना है, एक भाग बैंक द्वारा सीबीएस से सृजित रिपोर्ट होगी जो साप्ताहिक होगी और दूसरा भाग एसएलबीसी से प्राप्त रिपोर्ट होगी जिसमें जमीनी स्तरीय स्थिति का सर्वेक्षण भी शामिल होगा। जमीनी स्तरीय सर्वेक्षण को अभियान आरंभ करने के 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- 10.6 यह निर्णय लिया गया कि परिवार की महिला को मुखिया के रूप में तथा अन्य सदस्यों को सीबीएस में लिंक किया जाएगा ताकि अभियान के दौरान कवर किए गए परिवारों की संख्या निर्धारित की जा सके।
- 10.7 आईबीए में एक निगरानी समिति होगी जो साप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करेगी। निगरानी के लिए सूचना वित्तीय सेवाएं विभाग के पोर्टल से प्राप्त की जाएगी।
- 10.8 वित्तीय सेवाएं विभाग में एक परियोजना प्रबंधन समूह गठित किया जाएगा जिसमें दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए क्षेत्रीय स्तर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
- 10.9 एसएलबीसी को एक टोल फ्री नंबर से जोड़ा जाएगा जो कॉल सेंटर से जुड़ा होगा। जिन नागरिकों को खाता खोलने में कोई समस्या आएगी वे इस नंबर पर कॉल कर सकेंगे, जहां उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। तत्पश्चात् इसे अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को 15 दिनों के भीतर अग्रेषित किया जाएगा।



मीडिया और प्रचार



11. मीडिया और प्रचार:

केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर/स्थानीय स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर ढांचागत तरीके से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। बैंकों और अन्य शेयरधारकों के समन्वय से भारतीय बैंक संघ और नाबार्ड द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए ढांचा व तंत्र तैयार किया जाएगा। प्रचार के लिए बैंकों के अंशदान से एक सामान्य निधि का गठन किया जाएगा। राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) आई बी ए/नाबार्ड के विस्तृत दिशा-निर्देशों के आधार पर समन्वय करेगी। तथापि, स्थानीय स्तरीय प्रचार-प्रसार संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। सभी प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर आदि स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में बनाए जाएंगे। अभियान हेतु व्यापक तरीके निम्नवत किए जाएंगे :

- केंद्रीय स्तर
 - प्रिंट
 - इलेक्ट्रॉनिक
 - रेडियो
- स्थानीय स्तर (स्थानीय भाषा)
 - पोस्टर
 - बैनर
 - ब्राउज़र
- बाह्य प्रचार
 - बाल पेंटिंग
 - होर्डिंग
 - पोस्टर
 - बैनर



मिशन के कार्यान्वयन में अभिचिह्नित चुनौतियाँ



12. मिशन के कार्यान्वयन में अभिचिह्नित चुनौतियाँ:

12.1 टेलीकॉम कनेक्टिविटी:

बैंकों से प्रतिसूचना यह है कि देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क विश्वसनीय नहीं है और इसलिए इन क्षेत्रों में बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) नियुक्त करना और बैंक खाता खोला जाना सुनिश्चित करना कठिन हो रहा है। इस सम्बंध में टेलीकॉम विभाग और बीएसएनएल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई और यह विश्वास दिलाया गया कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जारी समस्या को पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा समाप्त किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी के साथ उत्तरी पूर्वी और दुर्गम क्षेत्रों के सभी गाँवों को शामिल करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन अलग से लिया जा रहा है। बैंक जब पंचायत स्तर पर पहुँचेंगे तब वे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का उपयोग करने के लिए भी कार्य करेंगे।

12.2 खातों को "सक्रिय" रखना:

यह आवश्यक है कि केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय स्तर के सभी सरकारी लाभ इन खातों के माध्यम से दिए जाएँ क्योंकि यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में बहुत से कार्यों में पुनरावृत्ति विद्यमान है और कभी-कभी राज्य सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का अनुसरण नहीं करते और सेवा क्षेत्र बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों को आवंटित क्षेत्रों में परिहार्य असमंजस की स्थिति रहती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, खासतौर से मनरेगा पर बल देने की आवश्यकता है और एलपीजी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं की सूची अनुबंध 8 में देखी जा सकती है।

12.3 ब्रांड के बारे में जानकारी एवं जागरुकता:

"मॉंग" की ओर खिचाव के प्रभाव ("डिमांड साइट फुल इफेक्ट") को हासिल करने के लिए यह आवश्यक होगा कि ट्रेडमार्क और मूल बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने के लिए बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) मॉडल की जानकारी और बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) आउटलेट पर उपलब्ध बैंकिंग उत्पाद और रुपये कार्ड की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ग्राहकों को इस बात के लिए जागरुक बनाया जाए कि उनके खातों में उपलब्ध कराए गए 5,000/- रुपये के ओवरड्राफ्ट की ऋण सुविधा है जिसे नई सीमा प्राप्त करने से पूर्व वापिस करने की आवश्यकता है और यह अनुदान नहीं है।

12.4 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी) पर बैंकों को कमीशन:

श्री नंदना निलकेणी की अध्यक्षता में आधार समर्थित एकीकृत भुगतान अवसंरचना संबंधी कार्यबल ने अपनी फरवरी, 2012 की रिपोर्ट में विभिन्न डीबीटी, डीटीएस तथा माइक्रो एटीएम एवं एटीएम के माध्यम से अंतिम भुगतानों के लिए अंतिम लेन देन लागत हेतु 20 रुपये प्रति लेन देन की सीमा के साथ 3.14% की सिफारिश की। डीबीटी हेतु लागू कमीशन में डीबीटीएल (एलपीजी की डीबीटी) भी कवर होनी चाहिए। मनरेगा को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में शामिल किया जाना चाहिए।

12.5 दुर्गम क्षेत्रों को कवर करना:

पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा 82 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिले टेलीकॉम कनेक्टिविटी के साथ-साथ अवसंरचना की चुनौतियों का भी सामना करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में सभी परिवार पूरी तरह से कवर नहीं हो सकते।

कुछ क्षेत्र शायद पूर्णतः कवर नहीं हो पायें तथा चरण-II में चले जायें।



मुख्य शोयरधारकों की भूमिका



13. मुख्य शेरधारकों की भूमिका:

13.1 वित्तीय सेवाएं विभाग:

- वित्तीय समावेशन पर मिशन मोड का समग्र स्वामित्व
- मिशन की समग्र निगरानी व कार्यान्वयन

13.2 केंद्र सरकार के अन्य विभाग:

- पूर्ण वित्तीय समावेशन और लाभार्थियों के खाते में सामाजिक लाभ के अंतरण के लिए केंद्र सरकार के संबंधित विभागों को शेरधारकों के साथ समन्वय करना होगा।

- वर्तमान में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत 26 केंद्रीय सामाजिक लाभ योजना केंद्र सरकार के 8 विभागों द्वारा प्रायोजित की जा रही है जो निम्नवत हैं:

- I. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- II. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग
- III. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता
- IV. आदिवासी कार्य मंत्रालय
- V. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- VI. महिला और बाल विकास मंत्रालय
- VII. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- VIII. श्रम और रोजगार मंत्रालय

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा को प्रायोजित किया गया है, (ग्रा.वि.मं.भा.स.) और इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में शामिल किए जाने की संभावना है।



- विभाग जैसे ग्रामीण डाक कार्यालय/ग्रामीण डाक सेवक का उपयोग करने के लिए डाक विभाग, टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए संचार विभाग, मीडिया अभियान में सहयोग के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय एवं डीएवीपी, निगरानी जैसे डाटा अद्यतन करने, पोर्टल सृजित करने, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार करने के लिए लॉजिस्टिक सहायता तैयार करने में डीईआईटीवाई, एनयूएलएम आदि में एनआरएलएम, एचयूपीए के समेकन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय।

13.3 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई):

- बैंकों को अपने निदेशों को मिशन पद्धति के साथ वित्तीय समावेशन के अनुरूप बनाना
- एफआईएफ आवंटन निधि सहायता
- जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता निधि योजना 2014 सहायता
- वित्तीय साक्षरता अभियान तथा एफएलसीसी का सुधार तथा उसके ब्लॉक स्तर तक विस्तार के लिए बैंकों को मार्गदर्शन तथा सहायता देना

13.4 बैंक: जैसा कि मिशन पद्धति दस्तावेज में परिभाषित किया गया है।

13.5 भारतीय बैंक संघ (आईबीए):

- वित्तीय समावेशन प्रयास में सभी बैंकों के साथ समन्वय
- वित्तीय साक्षरता अभियान में निगरानी संबंधी मुख्य भूमिका
- प्रचार तथा अभियान में समन्वय बैंकों के समन्वय से ग्राहक शिकायतों/मुद्दों को शुल्क मुक्त नंबरों के माध्यम से केंद्रीकृत निपटान में समन्वय

- एफआई के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक समर्पित डेस्क की स्थापना की जाएगी। शिकायत निवारण हेतु एसएलबीसी के साथ समन्वय।

13.6 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- प्रचार तथा अभियान में समन्वय
- नाबार्ड के अंतर्गत कार्यरत संगठनों के संबंध में वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन की निगरानी
- वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से निधियों का आवंटन
- एसएचजी/जेएलजी लाभार्थियों द्वारा वित्तीय साक्षरता

13.7 राज्य सरकार:

- राज्य स्तर पर मिशन निदेशक की नियुक्ति
- एसएलबीसी तथा सभी पणधारकों के समन्वय से वित्तीय समावेशन अभियान की निगरानी
- लाभार्थियों के बैंक खातों में राज्य योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- कार्यान्वयन के कार्य की निगरानी हेतु राज्य सरकार का एक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर

13.8 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)

- एसएलबीसी संयोजक महाप्रबंधक द्वारा राज्य कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करना
- वित्तीय समावेशन गतिविधि हेतु सभी बैंकों के साथ समन्वय
- वित्तीय समावेशन की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई

13.9 जिला प्रशासन:

- जिलों में एफआई के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका
- जिला कलेक्टर (डीसी) जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

13.10 अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम):

- जिला कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा

- एलडीएम जिले में एफआई कार्यान्वयन में सभी बैंकों के साथ समन्वय का कार्य करेगा

13.11 स्थानीय निकाय:

- स्थानीय निकायों (ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएं) के प्रतिनिधि एफआई के कार्यान्वयन में विभिन्न तरीकों जैसे कि वित्तीय साक्षरता अभियानों इत्यादि में खातों को खोलने, खाता खोलने के लिए व्यक्तियों की पहचान में सहायता कर सकते हैं।

13.12 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई):

- रुपये कार्डों को उपलब्ध कराने तथा उचित प्रचालन हेतु बैंकों को समन्वय तथा आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता
- बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के मध्य अंतर प्रचालनीयता को सुकर बनाना
- कम कीमत वाले मोबाइल फोन के लिए यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि ग्राहक सभी बैंकों में जमा, आहरण, निधि अंतरण, शेष पूछताछ इत्यादि जैसी मूलभूत बैंकिंग सेवाओं की सुविधा ले सकें। इस उत्पाद को बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) आउटलेट पर भी सक्षम बनाया जाए।

13.13 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):

- बैंक खाते खोलने के साथ आधार नामांकन का अभिसरण
- बैंकों द्वारा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) मशीनों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी सुविधा को सुकर बनाना।
- बैंक खातों में तीव्रगति से जमा को सुनिश्चित करने हेतु ईआईडी से यूआईडी में तीव्र रूपांतरण
- एकल आधार संख्या के साथ कई खातों की मैपिंग



उद्घाटन
समारोह



14. उद्घाटन समारोह:

- क. दिल्ली, राज्यों की राजधानियों एवं जिलों में साथ-साथ उद्घाटन।
- ख. अभियान के लोगो तथा व्यावसायिक पण्य का अनावरण।
- ग. सभी टेलिकॉम सुविधा प्रदान करने वालों के माध्यम से कम लागत की मोबाइल बैंकिंग (यूएसएसडी) का शुभारंभ।
- घ. लाभार्थियों को दिए जाने वाले रूपे कार्ड को विशेष रूप से रेखांकित किया जाना।

15. कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा:

क्र.सं.	गतिविधियां	निर्धारित समय-सीमा
1.	शुभारंभ	28.08.2014
2.	एसएसए का कवरेज (ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) आउटलेटों का खोला जाना तथा आवश्यकतानुसार शहरी क्षेत्रों में इनकी अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है।)	
	10,000	15.08.2014
	15,000 (कुल 25,000)	30.11.2014
	15,000 (कुल 40,000)	31.03.2015
	10,000 (कुल 50,000)	30.06.2015
3.	खाते खोलना (अनुमानतः 7.5 करोड़)	
	25%	30.11.2014
	50%	31.03.2015
	75%	30.06.2015
	100%	14.08.2015




स्वाभिमान अभियान 2010-13 के अंतर्गत 2,000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों की राज्य-वार संख्या जिन्हें बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई गई

क्र.सं.	राज्य	बैंकिंग सुविधा प्राप्त गांवों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार	9
2	आंध्र प्रदेश	6640
3	अरुणाचल प्रदेश	11
4	असम	2319
5	बिहार	8208
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	1050
8	दादर एवं नागर हवेली	30
9	दमन एवं दीव	6
10	दिल्ली	110
11	गोवा	41
12	गुजरात	3502
13	हरियाणा	1838
14	हिमाचल प्रदेश	48
15	जम्मू एवं कश्मीर	789
16	झारखंड	1541
17	कर्नाटक	3395
18	केरल	120
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	2736
21	महाराष्ट्र	4292
22	मणिपुर	186
23	मेघालय	39
24	मिजोरम	14
25	नागालैंड	196
26	ओडिशा	1877
27	पुद्दुचेरी	42
28	पंजाब	1576
29	राजस्थान	3883
30	सिक्किम	43
31	तमिलनाडु	4445
32	त्रिपुरा	419
33	उत्तर प्रदेश	16270
34	उत्तराखंड	228
35	पश्चिम बंगाल	7452
	समग्र योग	74351

परिवारों के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा गांवों के कवरेज पर जोर दिया गया।


वित्तीय समावेशन का परिवारों पर प्रभाव



बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) लोकेशन से सेवा प्रदान करने को दर्शाने वाला चित्र



वित्तीय तिपाई



व्यवसाय प्रतिनिधि के कवरेज के लिए चरण-वार लक्ष्य

राज्य	प्रथम चरण (31.08.2014 तक)	द्वितीय चरण (15.08.2014 से 30.11.2014 तक)	तृतीय चरण (01.12.2014 से 31.03.2015 तक)	चतुर्थ चरण (01.04.2015 से 30.06.2015 तक)
अरुणाचल प्रदेश	25	25	25	25
आंध्र प्रदेश	400	600	600	कोई अतिरिक्त बचा हुआ उप सेवा क्षेत्र
असम	25	50	100	144
बिहार	1000	1500	1500	101
छत्तीसगढ़	150	225	225	86
गोवा	20	20	18	कोई अतिरिक्त बचा हुआ उप सेवा क्षेत्र
गुजरात	500	750	750	117
हरियाणा	500	500	120	कोई अतिरिक्त बचा हुआ उप सेवा क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश	200	300	300	78
जम्मू और कश्मीर	100	150	120	कोई अतिरिक्त बचा हुआ उप सेवा क्षेत्र
झारखंड	150	225	225	91
कर्नाटक	500	750	750	129
केरल	300	350	350	55
मध्य प्रदेश	1000	1500	1500	1332
महाराष्ट्र	1000	1500	1500	1172
मणिपुर	25	25	25	25
मेघालय	25	25	25	25
मिजोरम	25	25	25	25
नागालैंड	25	25	25	25
ओडिशा	500	750	750	198
पंजाब	400	500	500	3
राजस्थान	1000	1500	1500	643
सिक्किम	25	25	25	25
तमिलनाडु	50	70	70	4
तेलंगाना	100	150	150	कोई अतिरिक्त बचा हुआ उप सेवा क्षेत्र
त्रिपुरा	25	25	25	25
उत्तर प्रदेश	2000	3000	3000	3055
उत्तराखंड	50	50	65	कोई अतिरिक्त बचा हुआ उप सेवा क्षेत्र
पश्चिम बंगाल	400	700	700	72
कुल	10520	15290	14943	7430 और कोई अतिरिक्त बचा हुआ उप सेवा क्षेत्र

31.05.2014 की स्थिति के अनुसार आवंटित एवं संरक्षित गांवों, उप सेवा क्षेत्रों एवं परिवारों का बैंक-वार विवरण।

क्र. सं.	बैंक का नाम	गांव (संख्या)		उप सेवा क्षेत्र (संख्या)		परिवार (संख्या)	
		आवंटित	कवर किए गए	आवंटित	कवर किए गए	आवंटित	कवर किए गए
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	इलाहाबाद बैंक	17689	4787	5093	2880	46,24,622	26,63,739
2	आंध्रा बैंक	4856	3688	1954	1851	24,12,380	23,53,325
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	21526	14729	6811	5034	56,21,924	46,28,182
4	बैंक ऑफ इंडिया	18533	10866	5283	3891	45,78,361	35,37,927
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10235	7106	3048	2128	27,08,781	20,75,228
6	केनरा बैंक	10122	5404	3547	2938	32,19,401	22,77,980
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	30382	12788	8946	4119	89,67,061	52,82,702
8	कॉर्पोरेशन बैंक	1880	1402	1143	1143	2,91,804	1,02,397
9	देना बैंक	4309	3033	2644	1882	14,96,366	10,08,947
10	आईडीबीआई बैंक	998	874	497	491	2,47,555	1,72,513
11	इंडियन बैंक	5902	5079	159	159	23,71,454	17,31,684
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	5872	3859	538	538	21,52,273	15,54,284
13	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	4603	2608	1494	1029	18,53,027	12,94,864
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	2716	1027	1070	580	14,93,021	8,19,580
15	पंजाब नेशनल बैंक	38970	25147	8490	5171	92,01,800	47,15,921
16	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर	7590	2989	1880	1350	8,08,380	2,26,012
17	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3941	3872	1504	1487	18,78,884	25,47,393
18	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	47622	18201	16691	9843	2,24,14,193	50,00,240
19	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3556	1980	697	438	8,41,910	6,27,633
20	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3612	1762	1030	630	6,04,700	3,99,837
21	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	49	42	426	365	6,39,000	4,30,000
22	सिडिकोट बैंक	6380	3547	3358	2152	24,55,945	15,23,140
23	यूको बैंक	17102	10198	5636	3881	34,07,505	23,03,899
24	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18667	7494	7650	4398	47,80,816	33,15,536
25	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	12671	9949	2085	2085	22,55,159	20,13,092
26	विजया बैंक	3170	2627	1013	798	5,36,071	3,47,329
योग	302753	164958	92667	60821	9,17,80,353	5,27,52,864	

केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित 26 योजनाओं की सूची

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	योजनाओं की संख्या	योजना का नाम
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	7	<ol style="list-style-type: none"> 1 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 2 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 3 अस्वच्छ प्रकार के कार्यों से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 4 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन 5 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 6 उच्च श्रेणी शिक्षा योजना 7 राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ैलोशिप
2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग	3	<ol style="list-style-type: none"> 1 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फ़ैलोशिप योजनाएं 3 एआईसीटीई की फ़ैलोशिप योजनाएं
3	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2	<ol style="list-style-type: none"> 1 राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति 2 माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना
4	जनजाति कार्य मंत्रालय	3	<ol style="list-style-type: none"> 1 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2 उच्च श्रेणी शिक्षा प्रणाली 3 राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ैलोशिप
5	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3	<ol style="list-style-type: none"> 1 मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2 मौलाना आजाद राष्ट्रीय फ़ैलोशिप 3 योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति योजना
6	माहिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2	<ol style="list-style-type: none"> 1 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) 2 धन लक्ष्मी योजना
7	स्वस्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	<ol style="list-style-type: none"> 1 जननी सुरक्षा योजना
8	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5	<ol style="list-style-type: none"> 1 बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति 2 बीड़ी श्रमिकों को गृह निर्माण सब्सिडी 3 बाल श्रमिक योजना के अंतर्गत विशेष विद्यालयों के बच्चों को वजीफ़ा 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं के लिए कल्याण हेतु कोचिंग सह मार्ग दर्शन एवं व्यवसायिक वजीफ़े के माध्यम से कल्याण 5 एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों के प्रशिक्षुओं को वजीफ़ा
	कुल	26	

बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के लिए वित्त पोषण योजना

सुविधा का स्वरूप	मांग/सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी सुविधाएं
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> कार्यालय की स्थापना अथवा नवीनीकरण के लिए कंप्यूटर, सहायक सामग्री, प्रिंटर, फर्नीचर, फिक्सर्स आदि की खरीद कार्यशील पूंजी आवश्यकता दो पहिया वाहन की खरीद
सीमा	<ul style="list-style-type: none"> उपकरणों की खरीद हेतु-50,000/- रुपये तक कार्यशील पूंजी हेतु- 25,000/- रुपये तक तथा वाहन ऋण हेतु- 50,000/- रुपये तक
पात्रता	यह उत्पाद विशेष रूप से बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) जो कि कियोस्क परिचालक हैं अथवा कियोस्क परिचालक के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित हैं तथा जिनके पास वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ वैध करारनामा है। आयु: 18 से 60 वर्ष
मार्जिन	10%
ब्याज दर	बैंकों के दिशानिर्देशानुसार
प्रसंस्करण प्रभार	बैंकों के दिशानिर्देशानुसार
पुनर्भुगतान की अवधि	<p>मांग ऋण - ऋण संवितरण के एक माह बाद प्रारंभ करते हुए अधिकतम 35 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए</p> <p>सावधि ऋण - ऋण संवितरण के एक माह बाद प्रारंभ करते हुए अधिकतम 60 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।</p> <p>ओवरड्राफ्ट - 12 माह बशर्ते कि इसकी समीक्षा प्रत्येक 12 माह में की जाए।</p>
प्रतिभूति दस्तावेज	<p>क. उचित डीपी नोट</p> <p>ख. वृद्धि उपबंध सहित किस्त के लिए पत्र</p> <p>सामान्य दस्तावेज</p> <ol style="list-style-type: none"> घोषणा पत्र सह वचन पत्र संयुक्त दृष्टि बंधन का लिखत वाहन दृष्टि बंधन संबंधित लिखत सीजीटीएमएसई के संबंध में वचन पत्र बैंक के निर्देशानुसार अन्य सभी दस्तावेज
अन्य प्रभार	बैंक निर्धारित मानकों के अनुसार
अन्य शर्तें	<ol style="list-style-type: none"> ओवरड्राफ्ट खाता माह में एक बार अवश्य जमा किया जाए। बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग की जाए, यद्यपि ब्याज दर को क्रेडिट रेटिंग से नहीं जोड़ा गया है। न्यूनतम रेटिंग एमएसएमई बीओबी 6 प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण रिपोर्ट अभिलेख में रखा जाए। शाखा को निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना है। आवेदक को केवाईसी मानकों का अनुपालन करना है।



- सभी पात्र खातों को सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया जाना है।
- कार्यशील पुंजी/ सावधि ऋण/मांग ऋण के संबंध में सभी अन्य सामान्य शर्तों का अनुपालन किया जाना है।
- आवेदक को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को अपने संबंधित व्यवसाय प्रतिनिधि के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष से अधिक का निवासी होना चाहिए।
- बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) अपने जैसे ही कार्य को छोड़ देता है उसे समस्त बकाया ऋण का परिसमापन करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा की स्वीकृति सीजीटीएमएसई योजना की शर्तों और निबंधनों के तथा अन्य मानदंडों के अनुसार दी जाए।
- टीएसपी/बैंक द्वारा बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को दिया जाने वाला पारिश्रमिक/कमीशन उसके बैंक खाते में जमा किया जाए। इस आशय का वचन पत्र नियोक्ता/बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) के प्रमुख प्रतिनिधि से प्राप्त कर लेना चाहिए।

- निरोधक सतर्कता**
- वह बैंक के लिए कार्य करने वाला बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) होना/होनी चाहिए।
 - कैवाईसी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक और सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक द्वारा अपनी पहचान के लिए प्रस्तुत की गई सूचना का उचित सत्यापन/क्रॉस चेकिंग शामिल है। पहचान और पते के साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों अर्थात् राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति की उचित जांच और मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन भी किया जाना चाहिए। मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित करने के लिए संबंधित दस्तावेजों पर टिप्पणी लिखी जानी चाहिए और रिपोर्ट रिकार्ड में रखनी चाहिए।
 - आवेदक के संबंध में सिविल डाटा की सतर्कतापूर्वक जांच की जानी चाहिए जिससे आवेदक की पहचान में कोई संदेह न रहे।
 - स्वीकृति पूर्व निरीक्षण जिसमें आवास और कार्य स्थल का दौरा शामिल है आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए तथा रिपोर्ट को रिकार्ड में रखा जाए।
 - बैंक के बोर्ड द्वारा कारोबार के स्थान पर दृष्टिबंधन भार दर्शाते हुए प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
 - लिक शाखा बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) द्वारा किए गए दिन प्रतिदिन के ट्रांजेक्शनों की निगरानी करेगी और निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एफआई ट्रांजेक्शनों के अतिरिक्त निपटान खाते में किसी अन्य ट्रांजेक्शनो की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) कार्य छोड़ देता है तो निपटान खाते में उपलब्ध क्रेडिट शेष को ऋण खाते में अंतरित करके खाते का निपटान किया जाना चाहिए। ऋण खाते के निपटान के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के मामले में बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) को सभी ऋण खातों के निपटान के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करनी होगी। यदि बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) कार्य छोड़ने के बाद भी डीएल/टीएल को नियमित भुगतान के साथ जारी रखने का इच्छुक है तो इस पर लिक शाखा द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

अग्रिमों का वर्गीकरण प्लांट एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश के अनुसार एमएसएमई

वित्तीय समर्थन के लिए वैयक्तिक खाता खोलने हेतु आवेदक/पट आवेदन दिनांक : _____

शाखा का नाम : _____ गांव/शहर : _____ जिला : _____ राज्य : _____

प्रथम आवेदक/एकल आवेदक :
 स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम (प्रथम, मध्य और अंतिम नाम) : श्री/श्रीमती/सुश्री _____
 पिता/पति का नाम स्पष्ट अक्षरों में : श्री _____
 जन्म तिथि : _____ / _____ / _____ लिंग : महिला/पुरुष
 व्यवसाय : कृषि/सेवा/गृहिणी/कारोबार/अन्य : _____
 टेली नं. : _____ मोबाइल नं. : _____ ई-मेल आईडी : _____

द्वितीय आवेदक/संबद्ध आवेदक :-
 स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम (प्रथम, मध्य और अंतिम नाम) : श्री/श्रीमती/सुश्री _____
 पिता/पति का नाम स्पष्ट अक्षरों में : श्री _____ जन्म तिथि : _____ / _____ / _____ लिंग : महिला/पुरुष
 व्यवसाय : कृषि/सेवा/गृहिणी/कारोबार/अन्य : _____
 टेली नं. : _____ मोबाइल नं. : _____ ई-मेल आईडी : _____

परिचालन अनुदेश : _____ पिन : _____
 वर्तमान पता : _____ पिन : _____
 स्थायी पता : _____ पिन : _____

अन्य अपेक्षित सुविधाएं (उपयुक्त बॉक्स को चिह्नित करें)							
क्रम सं.	विवरण	हां	नहीं	क्रम सं.	विवरण	हां	नहीं
1	पास बुक			4	रूपे कार्ड/डेबिट कार्ड		
2	ईमेल/टाक द्वारा खाता विवरणी			5	इंटरनेट बैंकिंग सुविधा		
3	चेक बुक			6	मोबाइल बैंकिंग सुविधा		
7 आचार सं. ---/---/---/---/---/---/---/---/---/---/--- को लिक करना							
वोट्स आईडी सं यदि सफल है ---/---/---/---/---/---/---/---/---/---/---							

नामांकन : _____

जमादाता		नामित					
जमा का स्वरूप	विशिष्ट सं.	अतिरिक्त विवरण	नामिती का नाम	नामिती का पता	जमाकर्ता के साथ संबंध	आयु	यदि नामिती अव्यक्त है तो उसका/उसकी जन्म तिथि

चूंकि नामिती इस तिथि को अव्यक्त है, मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पता _____ आयु _____ को अव्यक्त(की) की मृत्यु की स्थिति में नामिती की ओर से जमादाता प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम बैंक वकील के बजाय बैंक खाते की शर्तों एवं निबंधनों से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

उपयुक्त विवरण सत्यापित _____ 1. _____ 2. _____
 आवेदक(की) के हस्ताक्षर

बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) का नाम व हस्ताक्षर _____

आवेदक/पट सुविधा के लिए आवेदन
 मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि मुझे परिचार की वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹ _____ (₹ _____) की आवेदक/पट सीमा स्वीकृत की जाए। मैं इस संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों एवं निबंधनों का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। सभी छोटों से मेरी वार्षिक आय ₹ _____ है। मेरी आय का मुख्य स्रोत _____ है।





**एकल पक्ष आवेदन फार्म की पिछली तरफ पर
केवल कार्यालय प्रयोग हेतु
(प्रोसेसिंग सह स्वीकृति ज्ञापन)**

शाखा: _____ शाखा अक्षा: _____ स्कीम कोड: एस्बी124/150

खाताधारक(को) का/के नाम: _____

खाता सं.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ग्राहक आईडी सं.: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक (को) द्वारा घोषित विभिन्न स्रोतों से वार्षिक आय ₹ _____
स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सीमा ₹ _____ (₹ _____)
आधार दर _____: आधार दर से अधिक न्यूनतम _____: मासिक अंतराल के साथ
अवधि: 12 माह
दस्तावेज: 1 - डीपी नोट, 2 - उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित सलाह प्रतिभूति पत्र
अनुसूचित _____ स्वीकृत
प्रभारी _____ मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक
बचत बैंक विभाग

आवेदक (को) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले केवाईसी पहचान दस्तावेज/कागजात
बैंक की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित दो सूचियों में से कोई एक दस्तावेज

क्रम सं.	सूची - I (पत्र दस्तावेज द्वारा नवीनतम/हाल ही के दस्तावेज)	विहित	क्रम सं.	सूची - II (पत्र दस्तावेज द्वारा नवीनतम/हाल ही के दस्तावेज)	विहित
1	फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस		1	फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस	
2	मनरेगा जॉब कार्ड		2	टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, राशन कार्ड	
3	वोटर पहचान पत्र		3	बैंक खाता विवरणी (पते सहित) मनरेगा जॉब कार्ड	
4	पैन कार्ड, सरकारी आईडी कार्ड		4	बैंक को जावासीय पते के समर्थन के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य	
5	आधार कार्ड		5	आधार कार्ड, वोटर कार्ड	
6	पारिवेक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज		6	विवाहित महिला के मामले में पति के पते का प्रमाण स्वीकार्य है।	

पहचान के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का विवरण:
यदि ऊपर बताए गए केवाईसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तब किसी मौजूदा खाताधारक से प्रस्ताव (कम से कम छह माह पुराना संतोषजनक परिचालित और केवाईसी अनुपालित खाता) प्राप्त किया जाए।

नाम:	खाता सं.
पता	खाता खोलने की तिथि:
	ग्राहक आईडी
ई मेल:	शाखा का नाम
मोबाइल नंबर	खाते का प्रकार बचत बैंक/खालू खाता/नकद उधार/ओवरड्राफ्ट

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शुभ्री _____ को मैं/हम व्यक्तिगत रूप से अंतिम _____ माह/वर्षों से जानता हूँ/जानते हैं तथा खाता खोलने के लिए आवेदन फार्म में दिए गए व्यवसाय, फोटोग्राफ और पते की पुष्टि करता हूँ/करते हैं व यह मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

(प्रस्तावक का हस्ताक्षर)

अनुबंध-9

मिशन मोड योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन की निगरानी और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पदनामित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नोडल अधिकारियों का ब्यौरा

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्रबंध निदेशक (एसबीआई)/ कार्यपालक निदेशक का नाम	प्रबंध निदेशक (एसबीआई)/ कार्यपालक निदेशक की ई-मेल/सम्पर्क करने के लिए विवरण
1	इलाहाबाद बैंक	श्री जे के सिंह खरब, कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edk@allahabadbank.in मोबाईल : 8334030788 दूरभाष : 033-22103637
2	आंध्रा बैंक	श्री एस के कालड़ा कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edsect@andhrabank.co.in दूरभाष : 040-23240079 मोबाईल : 7702642222 दूरभाष : 040-23240071
3	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	श्री बी.बी. जोशी कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : ed.bb@bankofbaroda.co दूरभाष : 022 6698 5800 मोबाईल : 8879973555 फ़ैक्स : 022 2652 5746
4	बैंक ऑफ़ इंडिया	श्री बी पी शर्मा कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : ed.sharma@bankofindia.co.in दूरभाष : 022-6668 5604 मोबाईल : 09920424254
5	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र	श्री आर के गुप्ता कार्यपालक निदेशक	दूरभाष : 020-25535572 मोबाईल : 08698655556
6	केनरा बैंक	श्री पी एस रावत कार्यपालक निदेशक	ई-मेल:pradyuman_shankar@canarabank.com दूरभाष : 080-22234280 दूरभाष : 080-22116918 फ़ैक्स : 080-22293516 मोबाईल :+919886568740
7	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	श्री अनिमेश चौहान कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edanimesh@centralbank.co.in मोबाईल : 09167227788 दूरभाष : 022-22026611
8	कॉर्पोरेशन बैंक	श्री बिभास कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edbks@corpbank.co.in मोबाईल : 9900019401
9	देना बैंक	श्रीमती तृष्णा गुहा कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : trishna.guha@denabank.co.in दूरभाष : 022-26545793 मोबाईल : 9167002300
10	आईडीबीआई बैंक लि.	श्री एस के वी श्रीनिवासन कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : s_srinivasan@idbi.co.in दूरभाष : 022-66552039 022-22151244 मोबाईल: 09821850501
11	इंडियन बैंक	श्री बी राज कुमार कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edsect@indianbank.co.in दूरभाष : 044-28134433 मोबाईल : 08754570880
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	श्री अतुल अग्रवाल कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : agarwal@lobnet.co.in दूरभाष : 044-2852 4546 मोबाईल : 8939447777
13	ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	श्री सुरेश एन पटेल कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : ed@obc.co.in दूरभाष : 0124-4126553 / 4126554 मोबाईल : 8527207000



14	पंजाब एंड सिंध बैंक	श्री किशोर सांसी कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : kishoresansai@psb.co.in मोबाईल: 08130443335
15	पंजाब नैशनल बैंक	डॉ. राम एस. सांगापुरे कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : ed2@pnb.co.in दूरभाष : 011-26184044 मोबाईल : 9810995274
16	एसबीबीजे	श्री एस. वेंकटरमन, सीजीएम	ई-मेल : cgmrb@sbbj.co.in दूरभाष : 0141-5101257 मोबाईल : 9571888800
17	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	श्री वी. विश्वनाथन सीजीएम	ई-मेल : sbhcgm2@sbhyd.co.in दूरभाष : 040-23387268 040-23387267 मोबाईल : 09945281003
18	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	डॉ. एम.जी.वैद्यन उप प्रबंध निदेशक (आरएस)	ई-मेल : dmd.rsnbg@sbi.co.in दूरभाष : 022 22741920 मोबाईल : 7738456300
19	स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	श्री कल्याण मुखर्जी सीजीएम	ई-मेल : cgmrb@sbn.co.in दूरभाष : 080-22251570 मोबाईल : 9900039870
20	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	श्री एस विजय कुमार सीजीएम (आरबी)	ई-मेल : cgmnb@sbp.co.in दूरभाष : 0175-2209400 मोबाईल : 08427806666
21	स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर	श्री संजीव कृष्णन (मुख्य महाप्रबंधक-आरबी)	ई-मेल : sbtcgm@sbt.co.in दूरभाष : 0471-2358139 मोबाईल : 09567877935
22	सिंडिकेट बैंक	श्री टी के श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : coedsec@syndicatebank.co.in दूरभाष : 22375706 दूरभाष : 07259633888
23	यूको बैंक	श्री जे के गर्ग कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edsec.calcutta@ucobank.co.in दूरभाष : 033-44557830 मोबाईल : 08902497848
24	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	श्री के सुब्रामणियम कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : ed@unionbankofindia.com दूरभाष : 22896903 मोबाईल : 09187570144
25	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	श्री संजय आर्य कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edubi@unitadbank.co.in दूरभाष : 033-22623266 / 3269 मोबाईल : 9163012000
26	विजया बैंक	श्री वी एस रामा राव कार्यपालक निदेशक	ई-मेल : edsecretariat2@vijayabank.co.in दूरभाष : 080-25584201 फैक्स : 080-25584412 मोबाईल : 09740377222
27	भारतीय महिला बैंक	श्री अजीत कुमार महाप्रबंधक बीएमबी में कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है	ई-मेल : ajit.kumar@bmb.co.in मोबाईल : 09873134400





बैंक मित्र
(व्यवसाय प्रतिनिधि)